

1. "अपने ग्राहक को जानने(केवाईसी)" संबंधी दिशानिर्देश-धन शोधन निवारण मानदंड

धनशोधन निवारण मानदण्डों एवं वित्तीय आतंकवाद से संघर्ष के बारे में गठित "वित्तीय कार्रवाई दल" की सिफारिशों के मद्देनजर, उक्त विषय पर जनवरी 2004 में जारी, पिछले दिशानिर्देशों की समीक्षा करके फरवरी 2005 में "अपने ग्राहकों को जानने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गये थे। ये मानदण्ड धनशोधन निवारण एवं वित्तीय आतंकवाद से संघर्ष के लिए विनियामक प्राधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संबंधों के लिए देश के बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए इन मानकों का अनुपालन करना आवश्यक हो गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परचालन और विकास विभाग ने "वित्तीय कार्रवाई दल" की सिफारिशों एवं बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा बैंकों के लिए जारी पर्याप्त सावधानी (ड्यू डिलीजेंस) संबंधी पेपर के आधार पर बैंकों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश, जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया उदाहरण स्वरूपी सुझावों के साथ, जारी किए हैं जिनकी एक प्रति अनुबंध -1 के रूप में संलग्न है। ये दिशानिर्देश समान रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर भी लागू हैं। इसलिए सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी गतिविधियों / कार्यों के स्वरूप के अनुसार उन्हें आवश्यक संशोधनों के साथ अपना लें तथा यह सुनिश्चित करें कि "अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी)" तथा धन शोधन निवारण उपायों के लिए समुचित नीति गत ढांचा तैयार करें और इस परिपत्र की तारीख से 3 माह के

भीतर अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से उन्हें लागू करें। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि 31 दिसंबर 2005 से पूर्व वे उल्लिखित अनुदेशों की पूरी तरह अनुपालन करने वाली बन जाएं।

2. परिचालन संबंधी दिशानिर्देश तैयार करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इस बात को ध्यान में रखें कि खाते खोलते समय ग्राहकों से प्राप्त सूचना को गोपनीय रखें तथा उसके ब्योरे प्रति-बिक्रय (क्रास सेलिंग) या किसी अन्य प्रयोजन से न खोले जाएं/दिए जाएं। अतः गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ यह सुनिश्चित करें कि प्रत्याशित जोखिम से के अनुरूप सूचना ग्राहकों से मांगी/प्राप्त की जाए जो अनंतर्वेधी हो तथा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो। अन्य सूचना खाता खोलने के बाद ग्राहक की सहमति से अलग से प्राप्त की जा सकती है।

(21 फरवरी 2005 के परिपत्र सं. गैर्बैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 48/10.42./2004-05 में ब्योरे दिए गए हैं)

3. चूंकि यह आवश्यक है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से जनता से जमाराशियाँ एकत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों जिनमें दलाल(ब्रोकर)/एजेंट, आदि शामिल हैं पर दिशानिर्देश समान रूप से लागू हों। अतः 11 अक्टूबर 2005 को सूचित किया गया था कि:

(i) अपने ग्राहकों को जानने संबंधी दिशानिर्देशों का पालन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों

तथा उनके अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, द्वारा किया जाना

धन शोधन निवारण अधिनियम (प्रीवेंशन आफ मनी लांडरिंग ऐक्ट), 2002 (अध्याय IV) के अनुसार बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यस्थों पर इस बात का दायित्व डाला गया है कि वे निर्दिष्ट प्रकृति तथा मूल्य के लेनदेन के संबंध में रिकार्ड रखने से संबंधित कतिपय अपेक्षाओं, लेनदेन से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने एवं विहित तरीके से सभी ग्राहकों की पहचान का अभिलेख रखने एवं उसके सत्यापन की अपेक्षा का पालन करें। तदनुसार 21 फरवरी 2005 के परिपत्र सं. गैबैपवि.(नीप्र) कंपरि. सं. 48/10.42/2004-05 के द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनुदेश जारी किये गये थे।

जहाँ तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, द्वारा जनता से जमा राशियाँ एकत्रित/इकट्ठी करने का संबंध है, चूँकि ये व्यक्ति गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से जनता से जमा राशियाँ इकट्ठी करते हैं इसलिए अपने ग्राहकों को जानने संबंधी मानकों का पालन इनके द्वारा किये जाने की पूरी जिम्मेदारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की होगी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इस संबंध में संपूर्ण जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें ताकि इस बात को सत्यापित किया जा सके कि कंपनी अपने ग्राहकों को जानने संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है तथा वे अपने द्वारा

अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट, आदि शामिल हैं, द्वारा इस बारे में किये जानेवाले किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगी।

30 दिसंबर 2004 को जारी कंपनी परिपत्र सं. 46 में अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों (RNBCs) के लिए एक रोडमैप बनाया गया था जिसमें निम्नवत दिशानिर्देश जारी किए गए थे:

1 अप्रैल 2004 के बाद बनाए गए नए ग्राहकों के संबंध में कंपनी परिपत्र सं. 48 में अपने ग्राहकों को जानने के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का सभी मामलों में अनुपालन होना चाहिए। तथापि, मौजूदा ग्राहकों में से, प्रारंभ में बड़े ग्राहकों, जिनकी समग्र जमाराशियाँ रु 1 लाख से अधिक हैं, के बारे में अपने ग्राहकों को जानने के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए। मौजूदा शेष खातों के संबंध में कंपनियाँ यह सुनिश्चित करें कि जमाराशियों के नवीकरण के समय ग्राहकों के बारे में ब्योरे अद्यतन कर दिए जाएं। हालांकि, इससे ग्राहकों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ना न सहनी पड़े।

जहाँ तक एजेंटों/सब-एजेंटों द्वारा जमाराशियाँ एकत्रित करने का संबंध है, यदि वे अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों की ओर से जमाराशियाँ एकत्रित करते हैं तो अपने एजेंटों/सब-एजेंटों द्वारा "अपने ग्राहकों को जानने" संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन की पूरी जिम्मेदारी अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी की होगी। "अपने ग्राहकों को जानने" के संबंध में दिशानिर्देशों के अनुपालन की पूरी जानकारी अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी विनियामक या उसके नामिनी को उपलब्ध कराएगी और कंपनी की ओर से परिचालन करने

वाले अपने एजेंटों/सब-एजेंटों द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन के सभी परिणामों को उसे स्वीकार करना होगा।

(ii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अधिकृत व्यक्तियों जिनमें दलाल/एजेंट, आदि शामिल हैं, के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरतना (ड्यू डिलीजेंस)

अपने ग्राहकों को जानने संबंधी दिशानिर्देशों के विस्तार के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जनता से जमाराशियाँ इकट्ठी करने के लिए अपने द्वारा अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, की नियुक्ति एवं (उनकी पृष्ठभूमि/ अध्यवसायिता के) विस्तृत सत्यापन की एक समान कार्यप्रणाली रखनी होगी। किये गए अध्यवसाय/पर्याप्त सावधानी का ब्योरा कंपनी के रिकार्ड में सत्यापन के लिए रखा जाए। इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट 31 दिसंबर 2005 तक भारतीय रिज़र्व बैंक को मिल जानी चाहिए थी।

जमाकर्ताओं के हित में तथा परिचालनों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कंपनियाँ एक प्रणाली रखें जिसके अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, के कंपनी के दलाली कार्य से संबंधित बही-खाते उपलब्ध रहें तथा जरूरत पड़ने पर उनकी लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण किया जा सके।

उल्लिखित 30 दिसंबर 2004 के कंपनी परिपत्र सं. 46 के द्वारा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को भी उक्त रीति से ही सूचित किया गया था और उन्हें 31 जनवरी 2005 तक रिजर्व बैंक को अनुपालन रिपोर्ट देनी थी।

(iii) अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, के पहचान योग्य संपर्क (identifiable contact) के अनुसार ग्राहक सेवा

सभी जमा रसीदों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नाम एवं उसके पंजीकृत कार्यालय का पता दर्ज होना चाहिए तथा उस पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, के नाम तथा उनके पते, जो जमाराशि इकट्ठी करते हैं, तथा लिंक आफिस (संपर्क कार्यालय) के उस अधिकारी और या अधिकृत व्यक्ति, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, के फोन नंबर दिये हों ताकि फील्ड में काम करने वाले व्यक्तियों के समक्ष संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति का स्पष्ट पता रहे और अदावाकृत/व्यपगत (भूली हुई) जमा, जारी न रखी गई जमा, ब्याज का भुगतान एवं ग्राहकों की अन्य शिकायतों/ परिवाद आदि के मामलों को अच्छी तरह निपटाया जा सके। कंपनियाँ एक प्रणाली विकसित करें जिसमें ऐसे अधिकृत व्यक्ति, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, जिनके मामले में जमाराशियाँ जारी न रहने के मामले ज्यादा हों, की पहचान हो सके ताकि तत्संबंध में उचित कार्रवाई की जा सके।

(11 अक्टूबर 2005 के परिपत्र सं. गैर्बैपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं. 58/10.42/2005-06 में ब्योरे दिए गए हैं)

उल्लेखानुसार 30 दिसंबर 2004 के परिपत्र सं. कंपरि. 46/02.02(आरएनबीसी)/2004-05 में अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को भी सूचित किया गया था।

4. मार्च 2006 में यह स्पष्ट किया गया था कि यद्यपि उल्लिखित परिपत्र में परिचय और पते के साक्ष्य संबंधी अपेक्षित दस्तावेजों में लचीलेपन का प्रावधान है फिर भी शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में, विशेषकर कम आय वर्ग के, कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने परिचय और पते के संबंध में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, उनकी संतुष्टिदायक, ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ हों। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि सभी खातों में कुल मिलाकर ₹50,000/-का जमाशेष और सभी खातोंगत कुल क्रेडिट एक वर्ष में ₹1,00,000/-से अधिक न रखने के इच्छुक व्यक्तियों के संबंध में (ग्राहकों के) खाते खोलने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनुपालित किये जानेवाले अपने ग्राहकों को जानने संबंधी दिशानिर्देशों (मार्गदर्शी सिद्धांतों) की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए।

5. तदनुसार, अगर कोई व्यक्ति 21 फरवरी 2005 के हमारे उक्त परिपत्र के संलग्नक बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के संदर्भित परिपत्र के अनुबंध II में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न कर सके तो गैर बैंकिंग वित्तीय

कंपनियाँ पैराग्राफ 2 में उल्लिखित खाते निम्नलिखित शर्तों के तहत खोल सकती हैं:-

क) किसी ऐसे खातेदार द्वारा परिचय जिसके संबंध में अपने ग्राहक को जानने संबंधी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया गया हो/जांच की गई हो। परिचयकर्ता का खाता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में कम से कम छह माह पुराना हो और उसमें सतोषजनक लेन-देन हुए हों। खाता खोलने के इच्छुक व्यक्ति का फोटोग्राफ और उसके पते को परिचयकर्ता द्वारा प्रमाणित कराया जाए।

या

ख) इच्छुक ग्राहक के परिचय और उसके पते के संबंध में अन्य कोई साक्ष्य जिससे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी संतुष्ट हो।

6. उल्लिखित प्रकार से जिस व्यक्ति का खाता खोला जाए उसे अवगत करा दिया जाए कि यदि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में किसी समय निर्दिष्ट सीमा उसके सभी खातों में कुल मिलाकर रु 50,000/- के जमाशेष और सभी खातोंगत वर्ष में कुल क्रेडिट रु1,00,000/-से अधिक हो जाएगी, तो खातेदार का लेन-देन तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक अपने ग्राहक को जानने संबंधी दिशानिर्देशों में सुझाई गई प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी। ग्राहक को असुविधा से बचाने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमा खाते में शेषराशि रु40,000/- और एक वर्ष में कुल क्रेडिट रु80,000/-के पहुंचते ही ग्राहक को उसकी जानकारी दें तथा सूचित करें

कि वह अपने ग्राहक को जानने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में दी गई पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे अन्यथा जमा खाते में कुल मिलाकर रु. 50,000/- के जमाशेष और सभी खातोंगत वर्ष में कुल क्रेडिट रु.1,00,000/- होने पर उसका लेन-देन बंद कर दिया जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे इस संबंध में उक्त अनुपालन के लिए अपनी शाखाओं को समुचित अनुदेश जारी करें।

(7 मार्च 2006 के परिपत्र सं. गैर्बैपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 64/03.10.042/2005-06 में ब्योरे दिए गए हैं।)

7. इसके अलावा, अप्रैल 2008 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को स्पष्ट किया गया था कि 21 फरवरी 2005 के परिपत्र में "संतुष्ट होने" का अर्थ है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा हर हालत में सक्षम प्राधिकारियों को इस बात से संतुष्ट करना कि लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में, ग्राहक की जोखिम प्रोफाइल के आधार पर, समुचित सावधानी बरती गई है। इसी परिपत्र के अनुबंध III में ग्राहक की पहचान करने से संबंधित दस्तावेजों के स्वरूप एवं प्रकार की उदाहरण सूची भी उसमें दी गई थी जिन पर निर्भर किया/हुआ जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अनुबंध III में जिस सूची को स्पष्ट रूप से उदाहरण के रूप में दिया गया था, उसे कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने व्यापक सूची के रूप में समझ लिया हो और परिणामतः जनता के एक वर्ग को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने से मना कर

दिया गया हो। अस्तु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे इस संबंध में अपने मौजूदा आंतरिक अनुदेशों की समीक्षा करें।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमारे इस परिपत्र के अनुबंध III में वर्णित स्थायी सही पते का अर्थ उस पते से है जहाँ कोई व्यक्ति आमतौर पर रहता/निवास करता है तथा किसी उपभोक्ता बिल या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा ग्राहक के पते के रूप में स्वीकार किए गए किसी अन्य दस्तावेज में अंकित पते से है। यदि राशि जमा करने वाले व्यक्ति के नाम में उपभोक्ता बिल न हो किन्तु वे निकट संबंधी के हों अर्थात् पत्नी, पुत्र, पुत्री और माता-पिता, आदि जो अपने पति, पिता/माता तथा पुत्र के साथ रहते हों तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऐसे भावी ग्राहक की पहचान के रूप में उल्लिखित व्यक्तियों के पहचान संबंधी दस्तावेज और उपभोक्ता बिल, संबंधित व्यक्ति के इस आशय के घोषणा पत्र के साथ ले सकते हैं कि खाता खोलने का इच्छुक व्यक्ति घोषणाकर्ता का संबंधी है और उसके साथ रहता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ पते के सत्यापन के लिए किसी पूरक साक्ष्य का सहारा ले सकती हैं जैसे सत्यापन के रूप में डाक से प्राप्त पत्र। इस विषय पर अपनी शाखाओं को परिचालन संबंधी अनुदेश जारी करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की भावना को ध्यान में रखें और अन्यथा कम जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत व्यक्तियों के लिए अवांछित अड़चनें पैदा न करें।

9. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि खातों के जोखिम वर्गीकरण और किसी ग्राहक के उच्च जोखिम वाला होने के अनुमान के तहत और ज्यादा पर्याप्त सावधानी बरतने की आवधिक समीक्षा करने की प्रणाली स्थापित करें। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह भी सूचित किया जाता है कि ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा आवधिक आधार पर करें जिसकी बारंबारता 6 माह में एक बार से कम न हो। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ खाते खोलने के बाद ग्राहकों के पहचान संबंधी आंकड़ों (फोटोग्राफ सहित) को आवधिक आधार पर अद्यतन करने की प्रणाली भी लागू करें। इस प्रकार अद्यतन करने की आवधिकता कम जोखिम वाले ग्राहकों के संबंध में हर पांच वर्ष में एक बार तथा मध्यम एवं उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के संबंध में हर दो वर्ष में एक बार से कम न हो।

10. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह भी सूचित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देश इन कंपनियों की भारत से बाहर, विशेषकर एफएटीएफ संस्तुतियों को या तो लागू न करने वाले या अपर्याप्त रूप में लागू करने वाले देशों में स्थित शाखाओं एवं प्रमुख रूप से स्वाधिकृत सहायक कंपनियों पर भी उस सीमा तक लागू होंगे जहाँ तक उस देश के कानून अनुमति देते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक एवं मेजबान देश के विनियामक द्वारा जारी केवाईसी/एएमएल मार्गदर्शी सिद्धांतों में यदि भिन्नता हो तो उनमें से जो भी सिद्धांत सख्त

होगें उन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ऐसी शाखाओं/ओवरसीज सहायक कंपनियों द्वारा अपनाया जाएगा।

11. आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष

क) धनशोधन निवारण अधिनियम संबंधी नियमावली के अनुसार संदिग्ध लेनदेन में, अन्य बातों के साथ-साथ, वे लेनदेन शामिल हैं जो आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों का वित्तपोषण किये जाने के संदेह के लिए पर्याप्त आधार मुहैया कराते हों। इसलिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि आतंकी संबंधों के होने के संदेह वाले खातों की और अधिक निगरानी करने एवं ऐसे लेनदेनों की त्वरित पहचान करके वित्तीय आसूचना-एकक-भारत (FIU-IND) को उचित रिपोर्ट वरीयता से भेजने के लिए उचित नीतिगत ढांचे की मार्फत एक तंत्र विकसित करें।

ख) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विविध संकल्पों के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति द्वारा व्यक्तियों तथा संस्थाओं की अनुमोदित सूची भारत सरकार से जब भी प्राप्त होती है, रिज़र्व बैंक उसे सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित) में परिचालित करता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चाहिए कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों एवं संस्थाओं की सूची को समेकित एवं अद्यतन करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थाओं की अद्यतन सूची संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट

<http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>.

से प्राप्त की जा सकती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि नए खाते खोलने से पूर्व वे यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का /ग्राहक के नाम ऐसी सूची में न हो। इसके अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को (उनके पास रखे गए) सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें किसी ऐसी संस्था/व्यक्ति का नाम न हो जो ऐसी सूची में दर्ज हो। उक्त सूची में शामिल किसी व्यक्ति/संस्था से सादृश्य वाले व्यक्ति/संस्था के खाते का पूरा ब्योरा तुरंत भारतीय रिज़र्व बैंक एवं वित्तीय आसूचना-एकक-भारत (FIU-IND) को प्रस्तुत किया जाए।

12. यह ध्यान देने योग्य है कि अपराधियों द्वारा बैंकिंग/वित्तीय चैनल का दुस्प्रयोग करने पर रोकने लगाने को सुनिश्चित करने के लिए केवाईसी/एएमएल स्टैंडर्ड/सीएफटी उपायों का निर्धारण किया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कार्मिकों की भर्ती/उन्हें भाड़े पर लेने को पर्याप्त जांच तंत्र का अभिन्न अंग बनाएं।

13. स्टाफ में केवाईसी/एएमएल के संबंध में जागरूकता और संदिग्ध लेन-देनों के संबंध में सतर्कता लाने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ 5 अगस्त 2008 के कंपनी परिपत्र सं. 126 के अनुबंध V में अंतर्विष्ट उदाहरणरूपी संदिग्ध गतिविधियों/कार्यों की सूची पर विचार करें/ देखें।

14. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ट एवं 45-ठ के अंतर्गत ये दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं एवं इस संबंध में किया गया कोई

उल्लंघन उक्त अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय हो सकता है।

(23 अप्रैल 2008 के परिपत्र सं. गैबैपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 113/03.10.42/2007-08 में ब्योरे दिए गए हैं।)

15. राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्तियों(PEPs) के खाते/प्रधान अधिकारी

उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र सं. 151 के अनुक्रम में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को सूचित किया गया था कि वे उक्त परिपत्र में किए गए निम्नलिखित संशोधनों को नोट करें:

राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्तियों (PEPs) के खाते

1. राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों या घनिष्ठ संबंधियों पर ग्राहकों से संबंधित पर्याप्त सावधानी उपायों (CDD) पर विस्तृत दिशानिर्देश 1 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र सं. 151/03.10.42/2009-10 के अनुबंध VII में दिए गए हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि यदि मौजूदा ग्राहक या मौजूदा खाते का धारक जो बाद में राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्ति में तब्दील हो जाता है, के मामले में अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ ऐसे व्यक्ति के साथ कारोबारी संबंध जारी रखने के बारे में अपने वरिष्ठ प्रबंधन से अनुमति प्राप्त करें तथा ऐसे व्यक्ति के खाते को ग्राहक

को जानने संबंधी पर्याप्त सावधानी उपायों के तहत जांच करने के अलावा ऐसे राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्ति के मामले में लगातार अतिरिक्त निगरानी अख्तियार करें।

प्रधान अधिकारी

2. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को 1 जुलाई 2009 के उल्लिखित मास्टर परिपत्र के अनुबंध VI के पैरा 10 में सूचित किया गया है कि वे किसी वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी को प्रधान अधिकारी के रूप में पदनामित करें। प्रधान अधिकारी की भूमिका एवं दायित्वों को उक्त पैरा में वर्णित किया गया है। प्रधान अधिकारी अपने दायित्वों को भलीभांति निभा सके, एतदर्थ यह आवश्यक है कि प्रधान अधिकारी एवं अन्य उचित स्टाफ को ग्राहक की पहचान संबंधी आंकड़ों और ग्राहक के संबंध में समुचित सावधानी /सतर्कता संबंधी सूचना, लेनदेन के रेकार्ड व अन्य संगत सूचना समय से देखने की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) यह सुनिश्चित करें कि प्रधान अधिकारी स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम कर सके और वरिष्ठ प्रबंधन या निदेशक बोर्ड को सीधे रिपोर्ट कर सके।

[13 नवंबर 2009 के परिपत्र गैबैपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. 163/03.10.042/2009-10 में ब्योरे दिए गए हैं।]

16. 'अपने ग्राहक को जानने' संबंधी मानदण्ड/ 'धनशोधन निवारण' मानक/ 'आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष'

उजबेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सावो टोम तथा प्रिंसिप देशों में धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी नियंत्रण मशीनरीगत खामियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के बारे में वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) ने 16 अक्टूबर 2009 को एक बयान जारी किया है। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे ईरान, उजबेकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सावो टोम तथा प्रिंसिप देशों की धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी नियंत्रण मशीनरीगत खामियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखें/के प्रति सतर्क रहें।

[2 दिसंबर 2009 के परिपत्र गैबैपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. 166/03.10.042/2009-10 में ब्योरे दिए गए हैं।]

धन शोधन निवारण/काले धन को बैध बनाने पर रोक संबंधी अधिनियम, 2002-उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व

17. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे एक प्रधान अधिकारी की नियुक्ति करें और संदिग्ध एवं 10 लाख स्पए तथा अधिक के नकद लेनदेनों को रिपोर्ट करने के लिए एक आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली लागू करें। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तत्संबंधी

नियमावली के बारे में 1 जुलाई 2005 की अधिसूचना भारत के राजपत्र में जारी की थी। नियमावली के अनुसार 1 जुलाई 2005 से धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 लागू हो गया है। धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ग्राहकों के खातों से संबंधित सूचना को अनुरक्षित एवं रिपोर्ट करने के दायित्व हैं। अस्तु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 एवं उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के प्रावधानों का अध्ययन करें और उक्त अधिनियम की धारा 12 की अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं।

18. लेनदेनों के रिकार्डों का रखरखाव

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चाहिए कि वे नियम 3 के अंतर्गत निर्धारित लेन-देनों का उचित रिकार्ड रखने की प्रणाली शुरू करें जैसा कि नीचे बताया गया है :

- (i) विदेशी मुद्रा में दस लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले अथवा उसके समकक्ष मूल्य के सभी नकद लेनदेन;
- (ii) समग्र रूप में एक दूसरे से संबद्ध नकद लेनदेनों की सभी श्रृंखलाएँ जिनका मूल्यांकन विदेशी मुद्रा में दस लाख रुपये से कम अथवा उसके समकक्ष किया गया है जहाँ ऐसे लेनदेन एक महीने के भीतर घटित हुए

हैं और ऐसे लेनदेनों का कुल मूल्य दस लाख रुपये से अधिक हो जाता है;

(iii) ऐसे सभी नकद लेनदेन जहाँ नकली और जाली करेंसी नोटों या बैंक नोटों का प्रयोग असली नोटों के रूप में किया गया है तथा जहाँ किसी मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी की गई है;

(iv) सभी संदिग्ध लेनदेन चाहे नकदी में किये गये हैं या नहीं और जो लेनदेन धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए उक्त नियमों के अंतर्गत किए गए हैं ।

19. परिरक्षित की जानेवाली सूचना

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे नियम 3 में उल्लिखित लेनदेनों के संबंध में निम्नलिखित सूचना का परिरक्षण करें :

(i) लेनदेनों का स्वरूप;

(ii) लेनदेन की राशि और वह मुद्रा जिसमें उसका मूल्यवर्गीकरण किया गया;

(iii) वह तारीख जब लेनदेन संचालित किया गया; तथा

(iv) लेनदेन के पक्षकार ।

20. रिकार्डों का रखरखाव और परिरक्षण

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ लेखों संबंधी सूचना के उचित रखरखाव और परिरक्षण की ऐसी प्रणाली विकसित करें ताकि इससे आवश्यकता

पड़ने पर या जब भी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इनके लिए अनुरोध किया जाए तब आसानी से और तुरंत यह आँकड़े पुनः उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ ग्राहक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के बीच लेनदेन के बंद होने की तारीख से कम से कम दस वर्षों तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के लेनदेनों के सभी आवश्यक रिकार्डों का अनुरक्षण करें, जिससे अलग-अलग लेनदेनों के पुनर्निर्माण (शामिल राशि तथा यदि कोई विदेशी मुद्रा हो तो उसके प्रकार सहित) में मदद मिलेगी ताकि यदि जरूरत पड़े तो आपराधिक गतिविधियों के अभियोजन के लिए साक्ष्य प्रदान किया जा सके।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक द्वारा खाता खोलते समय तथा कारोबारी संबंध बने रहने के दौरान उसकी पहचान और पते के संबंध में प्राप्त अभिलेख (जैसे पासपोर्टों, पहचान पत्रों, ड्राइविंग लाइसेंसों, पैन, उपभोक्ता बिलों जैसे दस्तावेजों आदि की प्रतिलिपियाँ) कारोबारी संबंध के समाप्त हो जाने के बाद कम से कम दस वर्ष तक उचित रूप में सुरक्षित रखे जाएँ। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर पहचान के रिकार्ड और लेनदेन के आँकड़े उन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

21. वित्तीय आसूचना एकक - भारत को रिपोर्टिंग

यह सूचित किया जाता है कि पीएमएलए नियमों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे नकदी और संदेहास्पद लेनदेनों

की सूचना निम्नांकित पते पर निदेशक, वित्तीय आसूचना एकक-भारत
(एफआइयू -आइएनडी) को दें :

निदेशक, एफआइयू - आइएनडी,
वित्तीय आसूचना एकक -भारत,
6वीं मंजिल, होटल सम्राट,
चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली - 110 021

1) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ सभी रिपोर्टिंग फार्मेटों को ध्यान से पढ़ें। कुल मिलाकर बैंकिंग कंपनियों के लिए पाँच रिपोर्टिंग फार्मेट हैं अर्थात् (i) नकदी लेनदेनों की मैनुअल रिपोर्टिंग (ii) संदेहास्पद लेनदेनों की मैनुअल रिपोर्टिंग (iii) बैंक के प्रधान अधिकारी द्वारा नकदी लेनदेनों की समेकित रिपोर्टिंग (iv) नकदी लेनदेनों की रिपोर्टिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा संरचना और (v) संदेहास्पद लेनदेनों की रिपोर्टिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा संरचना जो इस परिपत्र के साथ संलग्न हैं। रिपोर्ट करने के प्रपत्रों में रिपोर्टों के संकलन तथा एफआइयू आइएनडी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तरीके /प्रक्रिया के विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे बैंकों के लिए निर्धारित फार्मेटों को आवश्यक संशोधनों के साथ अपनाएं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाने के संबंध में यथाशीघ्र पहल करें। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिपोर्टें तैयार करने के लिए संबंधित

हार्डवेयर और तकनीकी आवश्यकता, संबंधित डाटा फाइलें तथा उनकी डाटा संरचना संबंधित फार्मेटों के अनुदेश वाले भाग में दी गई हैं। तथापि, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टें तुरंत फाइल करने की स्थिति में नहीं हैं, वे एफआइयू - आइएनडी को मैनुअल रिपोर्टें फाइल करें। जबकि सभी प्रकार की रिपोर्टें फाइल करने के विस्तृत अनुदेश संबंधित फार्मेटों के अनुदेश वाले भाग में दिये गये हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ निम्नलिखित बातों का अत्यंत सावधानी से पालन करें :

(क) प्रत्येक माह की नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) अगले महीने की 15 तारीख तक एफआइयू -आइएनडी को प्रस्तुत कर देनी चाहिए। सीटीआर फाइल करते समय, पचास हजार रुपये से कम राशि के अलग-अलग लेनदेनों को शामिल न किया जाए।

(ख) कोई भी लेनदेन चाहे नकदी हो या नकदी से इतर या लेनदेनों की एक श्रृंखला जो समग्रतः आपस में जुड़े हों, संदिग्ध स्वस्व के हैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचने के 7 दिनों के भीतर संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) प्रस्तुत कर देनी चाहिए। प्रधान अधिकारी को वे कारण रिकार्ड करने चाहिए जिससे किसी लेनदेन या लेनदेनों की श्रृंखला को संदिग्ध माना गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी शाखा

या अन्य कार्यालय से संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ऐसे किसी निर्णय पर पहुँचने में अनावश्यक देरी न हो।
ऐसी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारियों के अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध करायी जाए;

(ग) एफआइयू - आइएनडी को समय पर सीटीआर और एसटीआर रिपोर्टें प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व प्रधान अधिकारी का होगा।

(घ) एफआइयू - आइएनडी को सीटीआर और एसटीआर फाइल करते समय अत्यंत गोपनीयता बरती जाए। ये रिपोर्टें अधिसूचित पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट, फैक्स, ई-मेल द्वारा भेजी जाए।

(ङ) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शाखाओं की रिपोर्टें किसी एक पद्धति अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक या मैनुअल द्वारा ही भेजी जाएँ।

(च) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रधान अधिकारी द्वारा समग्र रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के समूचे नकदी लेनदेनों की रिपोर्ट का सारांश विनिर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार भौतिक रूप में संकलित किया जाना चाहिए। इस संक्षिप्त रिपोर्ट पर प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा

मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार की रिपोर्टिंग के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

22. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उन खातों पर कोई प्रतिबंध न लगाएं जहां एसटीआर रिपोर्ट भेजी गई है। तथापि यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहक को किसी भी स्तर से सचेत (टिपिंग ऑफ़) न किया जाए ।

23. ये अनुदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ट तथा 45ठ तथा धन शोधन निवारण (बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण) नियमावली, 2005 के नियम 7 के अंतर्गत जारी किये जाते हैं तथा इनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर अथवा इनका अनुपालन नहीं करने पर दंड की कार्रवाई की जाएगी।

24. धन शोधन निवारण (बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण) नियमावली, 2005 की एक प्रति तुरंत संदर्भ के लिए संलग्न है।

[5 अप्रैल 2006 का परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 68/03.10.042/2005-06]

25. 21 फरवरी 2005 के हमारे परिपत्र में दिए गए 'अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धन शोधन निवारण उपायों से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि जोखिम वर्गीकरण के आधार पर वे प्रत्येक ग्राहक की प्रोफाइल तैयार करें। इसके अलावा 5 अप्रैल 2006 के हमारे परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 68/03.10.042/ 2005-06 के पैराग्राफ 4 में जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने पर बल दिया गया है। अस्तु इस बात को दोहराया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे एक ऐसा साफ्टवेयर लगाएं जो जोखिम वर्गीकरण से भिन्न लेनदेन होने एवं जोखिम प्रोफाइल के अद्यतन होने पर चेतावनी का संकेत दे। हालांकि, इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है फिर भी अवगत कराया जाता है कि संदिग्ध लेनदेनों की प्रभावी पहचान और रिपोर्टिंग के लिए चेतावनी संकेतक देने वाले एक सशक्त साफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है।

26. 5 अप्रैल 2006 के हमारे उपर्युक्त परिपत्र के पैराग्राफ 7 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे एफआइयू-आइएनडी को भेजी जाने वाली नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) तथा संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने

के लिए तत्काल कदम उठाएं। एफआइयू-आइएनडी ने सूचित किया है कि अनेक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अब भी इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टें फाइल की जानी शेष हैं। अतः सूचित किया जाता है कि उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में जहां सभी शाखाएं अभी तक पूर्णतः कंप्यूटरीकृत नहीं हुई हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रधान अधिकारी को चाहिए कि वह कंप्यूटरीकृत नहीं हुई शाखाओं से लेनदेन के ब्यौरों को छांटकर(उचित रूप में व्यवस्थित कर), उन्हें एफआइयू-आइएनडी द्वारा अपनी वेबसाइट <http://fiuindia.gov.in> पर उपलब्ध कराई गयी सीटीआर/एसटीआर की एडिटेबल इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटीज की सहायता से एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल में फीड करने की उपयुक्त व्यवस्था करे।

27. 5 अप्रैल 2006 के हमारे उपर्युक्त परिपत्र के पैराग्राफ 7(I) (क) में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे प्रत्येक महीने की नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) एफआइयू-आइएनडी को परवर्ती महीने की 15 तारीख तक अवश्य भेज दें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की शाखाओं/कार्यालयों द्वारा अपने प्रधान अधिकारी को भेजी जाने वाली नकद लेनदेन रिपोर्ट अनिवार्यतः मासिक आधार (पाक्षिक आधार पर नहीं) पर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा इसी प्रकार प्रधान अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार

एफआइयू-आइएनडी को प्रत्येक महीने की सीटीआर प्रस्तुत की जाती है।

28. सीटीआर के संबंध में यह पुनः सूचित किया जाता है कि दस लाख रुपये की उच्चतम सीमा (कट आफ लिमिट) आपस में जुड़े नकद लेनदेनों पर भी लागू होगी। इसके अलावा, एफआइयू-आइएनडी के साथ विचार - विमर्श करने के बाद यह स्पष्ट किया जाता है कि :

क) आपस में जुड़े नकद लेनदेनों को निर्धारित करने के लिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को एक कैलेंडर महीने के दौरान किसी खाते में किए गए ऐसे सभी अलग-अलग नकद लेनदेनों को ध्यान में लेना होगा जहां नामे अथवा जमा प्रविष्टियों का अलग-अलग योग महीने के दौरान दस लाख रुपये से अधिक है। तथापि, सीटीआर फाइल करते समय, पचास हजार रुपये से कम के अलग-अलग नकद लेनदेनों के ब्यौरों को न दर्शाया जाए। आपस में जुड़े नकद लेनदेनों का उदाहरण अनुबंध - 1 में दिया गया है।

ख) सीटीआर में केवल वही लेनदेन होने चाहिए जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपने ग्राहकों की ओर से किए हैं जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के आंतरिक खातों के बीच किए गए लेनदेन शामिल नहीं होंगे।

ग) जहां जाली अथवा नकली भारतीय मुद्रा नोटों का असली नोटों के रूप में उपयोग किया गया हो, वहां ऐसे सभी नकद लेनदेनों की सूचना प्रधान अधिकारी द्वारा अनुबंध II तथा III में दिए गए फॉर्मेट में एफआइयू-

आइएनडी को तत्काल भेजी जानी चाहिए। अनुबंध IV में इलेक्ट्रॉनिक डाटा का ढांचा दिया गया है ताकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इलेक्ट्रॉनिक फार्म में 'जाली मुद्रा संबंधी रिपोर्ट (सीसीआर)' तैयार कर सकें। इन नकद लेनदेनों में ऐसे लेनदेन भी शामिल होने चाहिए जहां मूल्यवान प्रतिभूति अथवा दस्तावेजों की जालसाजी की गई हो तथा यह सूचना एफआइयू-आइएनडी को प्लेन टेक्स्ट में भेजी जानी चाहिए।

29. 21 फरवरी 2005 के हमारे परिपत्र गैर्बैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं. 48/10.42/2004-05 के संलग्नक 'अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धन शोधन निवारण उपायों से संबंधित दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4 में बतलाये अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेन और लेनदेन के ऐसे असामान्य स्वरूप की ओर विशेष ध्यान दें जिनका कोई सुस्पष्ट आर्थिक अथवा विधि सम्मत प्रयोजन न हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक संभव हो ऐसे लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेज / कार्यालयीन अभिलेख/ ज्ञापन सहित उसकी पृष्ठभूमि तथा उसके प्रयोजन की जांच की जाए तथा शाखा तथा प्रधान अधिकारी दोनों स्तर पर प्राप्त निष्कर्षों को उचित रूप से रिकार्ड किया जाए। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अपेक्षा के अनुसार इन अभिलेखों को दस वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित किया जाना है। लेनदेनों की संवीक्षा से संबंधित कार्य करने में लेखापरीक्षकों की सहायता के लिए तथा रिज़र्व बैंक/अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भी ऐसे रिकार्ड तथा संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाएँ।

30. 5 अप्रैल 2006 के परिपत्र के पैराग्राफ 7 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि एफआइयू-आइएनडी को उनके द्वारा भेजे गए एसटीआर के बारे में ग्राहक को पता नहीं चलना चाहिए। यह संभव है कि कुछ मामलों में ग्राहकों को कुछ ब्योरे देने अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर ग्राहक अपने लेनदेन का परित्याग कर दे अथवा उसे बीच में ही रोक दे। यह स्पष्ट किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को लेनदेन के ऐसे सभी प्रयासों के संबंध में एसटीआर में सूचना देनी चाहिए, भले ही ग्राहकों ने इन लेनदेनों को अधूरा छोड़ दिया हो।

31. एसटीआर तैयार करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ पूर्वोक्त नियमावली के नियम 2 (छ) में निहित 'संदिग्ध लेनदेन' की परिभाषा को ध्यान में रखें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ लेनदेन की राशि पर तथा /अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के भाग - ख में निरूपित अपराधों के लिए परिकल्पित न्यूनतम सीमा पर ध्यान दिए बिना एसटीआर तब बनाए जाएं जब यह विश्वास करने के लिए उनके पास उचित आधार हो कि लेनदेन में सामान्यतः अपराध से प्राप्त राशि सम्मिलित है।

32. स्टाफ को अपने ग्राहक को जानिए /धन शोधन निवारण के संबंध में जागरूक बनाने तथा संदिग्ध लेनदेनों के संबंध में सतर्कता संकेत तैयार करने

के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अनुबंध V में निहित संदिग्ध गतिविधियों की निदर्शी सूची देखें।

33. ये दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ट तथा 45-ठ के अधीन जारी किए गए हैं। उक्त दिशानिर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दंड दिया जा सकता है।

[5 अगस्त 2008 का परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.126/03.10.42/2008-09 में ब्योरे दिए गए हैं]

34. "धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002- उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व"

उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र सं. 152 के अनुक्रम में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को सूचित किया गया था कि वे उक्त परिपत्र में निम्नवत किए गए संशोधनों को नोट कर/पर ध्यान दें:

अभिलेखों(रेकार्ड) की परिरक्षण अवधि

2. सरकार द्वारा अधिसूचित होने पर धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2009 का 21) 1 जून 2009 से लागू हो गया है। धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा 12 की उपधारा

2 (a) के अनुसार धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (a) में वर्णित रेकार्ड ग्राहक एवं बैंकिंग कंपनी के बीच हुए लेनदेन की तारीख से 10 वर्ष तक अभिरक्षित किए जाएंगे तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2(b) के अनुसार धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (c) में वर्णित रेकार्ड ग्राहक एवं बैंकिंग कंपनी के बीच लेनदेन समाप्त होने की तारीख से 10 वर्ष तक अभिरक्षित किए जाएंगे।

3. तदनुसार 1 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र सं. 152 के पैराग्राफ 4 में संशोधन करते हुए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को सूचित किया जाता है कि वे धनशोधन निवारण [लेनदेनों के स्वस्व तथा मूल्य (राशि) के रेकार्ड का अनुरक्षण, सूचना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, तरीका एवं प्रस्तुतीकरण के समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं एवं मध्यस्थों के ग्राहकों की पहचान का सत्यापन एवं रेकार्ड अनुरक्षण) नियमावली, 2005 (PMLA Rules) के नियम 3 में उल्लिखित, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के, लेनदेन जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) एवं ग्राहकों के बीच हुए हों, के सभी आवश्यक रेकार्ड लेनदेन की तारीख से न्यूनतम दस वर्ष के लिए रखें जिससे अलग-अलग लेनदेनों (शामिल राशि एवं करेंसी के स्वस्व, यदि कोई हों)] के रेकार्ड को पुनर्संरचित (रिकंस्ट्रक्शन) किया जा सके और आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने में, यदि आवश्यक हो तो, इन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

4. तथापि, खाता खोलने के समय ग्राहक की पहचान एवं उसके पते से संबंधित रेकार्ड (उदाहरणार्थ- पासपोर्ट, पहचानपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, उपभोक्ता बिल, आदि) एवं कारोबारी संबंधों के दौरान के रेकार्ड, जैसाकि 1 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र के पैरा 4 में उल्लिखित है, को उक्त नियमावली के नियम 10 की अपेक्षानुसार ऐसे संबंधों की समाप्ति से दस वर्षों तक अनुरक्षित किए जाएंगे।

[13 नवंबर 2009 के परिपत्र सं. गैबैपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.164/03.10.42/2009-10 में ब्योरे दिए गए हैं]

35. UNSCR 1267(1999) तथा तालिबान/अल-कायदा संगठन के संबंध

में 1822(2008)के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संगठनों की सूची

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष ने अल-कायदा और तालिबान से संबंधित व्यक्तियों/संगठनों की समेकित सूची में किए गए परिवर्तनों पर 19 जनवरी 2010 को एक नोट (प्रतिलिपि संलग्न) जारी किया है। तदनुसार, सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे ऐसे व्यक्तियों/संगठनों की सूची को अद्यतन करें और कोई भी नया खाता खोलने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित/भावी ग्राहक का नाम उक्त सूची से न हो। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके खाता धारकों में कोई ऐसा न हो जो उक्त सूची में दर्ज हो या जिसका ऐसे संगठन/संस्था और व्यक्ति से संबंध न

होने की बात को सुनिश्चित करने के लिए कंपनियाँ अपने सभी मौजूदा खाताधारकों के खातों को जांच (स्कैन कर) लें।

उल्लिखित समेकित सूची का संपूर्ण ब्योरा संयुक्त राष्ट्रसंघ की वेबसाइट:

<http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>

पर उपलब्ध है।

[23 अप्रैल 2010 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.170/03.10.42/2009-10 में ब्योरे दिए गए हैं]

36. धनशोधन निवारण(पीएमएलए) (लेन-देन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेख के रखरखाव, सूचना की प्रक्रिया, रखने का तरीका तथा प्रस्तुतीकरण का समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों द्वारा उनके ग्राहकों की पहचान का सत्यापन और अभिलेख का रखरखाव) संशोधन नियम, 2009- बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के दायित्व

भारत सरकार ने 12 नवंबर 2009 की अधिसूचना सं. 13/2009/एफ. नं. 6/8/2009-ईएस के द्वारा धनशोधन निवारण (लेन-देन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेख के रखरखाव, सूचना की प्रक्रिया, रखने का तरीका तथा प्रस्तुतीकरण का समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों द्वारा उनके ग्राहकों की पहचान का सत्यापन और अभिलेख का रखरखाव) नियमावली, 2005 को संशोधित किया है। अधिसूचना के ब्योरे 23 अप्रैल 2010 के परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं. 171/03.10.42/2009-10 में ब्योरे सुलभ संदर्भ

हेतु दिए गए हैं जिनका अध्ययन किया जाए, संशोधनों को स्पष्ट रूप से नोट किया जाए और आपके संगठन/संस्था के सभी लोगों के ध्यान में लाया जाए।

2. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे पीएमएलए नियम के संशोधित उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन करें और उनका सावधानी पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।

(23 अप्रैल 2010 के परिपत्र गैर्बैपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं. 171/03.10.42/2009-10 में ब्योरे दिए गए हैं)

37. 'अपने ग्राहक को जानने' संबंधी मानदण्ड/ 'धनशोधन निवारण' मानक/ 'आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष'

उल्लिखित विषय पर 2 दिसंबर 2009 के कंपनी परिपत्र सं. 166 के अनुक्रम में सूचित किया जाता है कि वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) ने उक्त विषय पर 18 फरवरी 2010 को एक बयान जारी किया है जो धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी रणनीतिक खामियों वाले क्षेत्रों को निम्नवत तीन समूहों में विभाजित करता है:

- (i) वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) के अधिकारिता क्षेत्र अपने सदस्यों और अन्य अधिकारिता क्षेत्रों से आह्वान करते हैं कि वे ऐसे क्षेत्र :ईरान में सतत तथा भारी मात्रा में किए जाने वाले धनशोधन एवं

आतंकी वित्त पोषण (ML/FT) से उत्पन्न जोखिमों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए निरोधक उपाय अमल में लाएं;

- (ii) धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी रणनीतिक खामियों वाले अधिकारिता क्षेत्र जिन्होंने वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) द्वारा विकसित/तैयार की गई कार्य योजना के अनुपालन में फरवरी 2010 के अंत तक मुख्य खामियों को दूर करने का वादा नहीं किया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) अपने सदस्यों का आह्वान करता है कि वे प्रत्येक अधिकारिता क्षेत्र: अंगोला, डेमोक्रेटिक पीपल्स रेपब्लिक आफ कोरिया, इक्वाडोर तथा इथोपिया से संबंधित खामियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर विचार करें/ध्यान दें;
- (iii) वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) द्वारा धनशोधन एवं आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष (AML/CFT) संबंधी रणनीतिक खामियों वाले क्षेत्रों के रूप में पहले स्पष्ट: घोषित क्षेत्रों: पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, साओ टोम तथा प्रिंसिप जिन्हें फरवरी 2010 तक निदान करना शेष था।

2. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे इन देशों में धनशोधन निवारण /आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष (AML/CFT) संबंधी रणनीतिक खामियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखें।

(30 अप्रैल 2010 के परिपत्र गैर्बैपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं. 172/03.10.42/2009-10 में ब्योरे दिए गए हैं)

38. धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप तथा मूल्य के रेकार्डों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, तरीका एवं समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं व मध्यस्थों के ग्राहकों की पहचान का सत्यापन और रेकार्डों का रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2009-बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की जिम्मेदारी

भारत सरकार ने 12 फरवरी 2010 की अधिसूचना संख्या 7/2010-E.S.F.No6/8/2009-E.S के द्वारा धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप तथा मूल्य के रेकार्डों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, तरीका एवं समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं व मध्यस्थों के ग्राहकों की पहचान का सत्यापन और रेकार्डों का रखरखाव) नियमावली, 2005 को संशोधित कर दिया है। अधिसूचना के ब्योरे का अध्ययन किया जाए, संशोधनों को स्पष्ट रूप से नोट किया जाए और आपके संगठन/संस्था के सभी लोगों के ध्यान में लाया जाए।

2. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे धनशोधन निवारण अधिनियम संबंधी नियमावली के संशोधित उपबंधों का कड़ाई से पालन करें एवं इस नियमावली का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।

(26 मई 2010 के परिपत्र गैर्बैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं. 175/03.10.42/2009-10 में ब्योरे दिए गए हैं)

आपस में जुड़े नकद लेनदेन का उदाहरण

अप्रैल 2008 माह के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में निम्नलिखित लेनदेन हुए :

तारीख	माध्यम	नामे (स्वये में)	जमा (स्वये में)	शेष (स्वये में) आगे लाया गया (B/F) - 8,00,000.00
02/04/2008	नकद	5,00,000.00	3,00,000.00	6,00,000.00
07/04/2008	नकद	40,000.00	2,00,000.00	7,60,000.00
08/04/2008	नकद	4,70,000.00	1,00,000.00	3,90,000.00
मासिक संकलन		10,10,000.00	6,00,000.00	

i) उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर दिए उदाहरण में जो नामे लेनदेन हैं वे आपस में जुड़े नकद लेनदेन हैं क्योंकि कैलेंडर माह के दौरान कुल नकद नामे लेनदेन 10 लाख स्वये से अधिक हैं। तथापि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को केवल 02/04 तथा 08/04/2008 को हुए लेनदेनों को रिपोर्ट करना चाहिए।

07/04/2008 के नामे लेनदेन को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अलग से रिपोर्ट न करें क्योंकि वह 50,000/- रुपये से कम है।

ii) उपर्युक्त उदाहरण में दिए गए सभी जमा लेनदेनों को आपस में जुड़ा नहीं समझा जाएगा, क्योंकि माह के दौरान जमा लेनदेन का कुल योग दस लाख रुपये से अधिक नहीं है। अतः, 02, 07 तथा 08/04/2008 के जमा लेनदेन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा रिपोर्ट नहीं किए जाने चाहिए ।

COUNTERFEIT CURRENCY REPORT (CCR)

Kindly fill in CAPITAL. Read the instructions before filling the form.

PART 1 DETAILS OF REPORTING BRANCH/LOCATION

1.1 Name of Entity	<input type="text"/>		
1.2 Name of Branch	<input type="text"/>		
1.3 Branch Reference Number	<input type="text"/>	1.4 ID allotted by FIU-IND	<input type="text"/>
1.5 Address (No., Building)	<input type="text"/>		
1.6 Street/Road	<input type="text"/>		
1.7 Locality	<input type="text"/>		
1.8 City/Town, District	<input type="text"/>		
1.9 State, Country	<input type="text"/>		
1.10 Pin code	<input type="text"/>	1.11 Tel (with STD code)	<input type="text"/>
1.12 Fax	<input type="text"/>	1.13 E-mail	<input type="text"/>

PART 2 DETAILS OF COUNTERFEIT CURRENCY

	Denomination	Number of pieces	Value
2.1	1000	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.2	<input type="text"/> +	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.3	<input type="text"/> +	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.4	<input type="text"/> +	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.5	20	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.6	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.7	<input type="text"/> +	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.8 Total Value of Counterfeit Currency			<input type="text"/>

PART 3 DETAILS OF DETECTION

3.1 Date of Cash Tendering	<input type="text"/>	3.2 Total Cash Deposited	<input type="text"/>
3.3 Date of Detection	<input type="text"/>		
3.4 Detected at	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> Cash Counter	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> Branch Level	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> Currency Chest
	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> RBI's CVPS	<input type="checkbox"/> Z <input type="checkbox"/> Other	
3.5 Whether local police station has been informed	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	
3.6 Details of FIR (if available)	<input type="text"/>		
3.7 Additional Information, if any	<input type="text"/>		

PART 4 DETAILS OF RELATED PERSONS

4.1 Name of Tendering Person	<input type="text"/>		
4.2 Name of Account Holder	<input type="text"/>		
4.3 Account / Card No.	<input type="text"/>		
	Signature	<input type="text"/>	
	Name	<input type="text"/>	
	Designation	<input type="text"/>	

COUNTERFEIT CURRENCY REPORT (CCR) INSTRUCTIONS

GENERAL INSTRUCTIONS

Under the Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA), every reporting entity is required to furnish details of all cash transactions where forged or counterfeit currency notes of bank notes have been used as genuine. These transactions should be reported to Director, Financial Intelligence Unit, India not later than seven working days from the date of occurrence of such transactions.

HOW TO SUBMIT

Every reporting entity branch must submit this form to the Director, FIU- IND only through the principal officer designated under PMLA.

Note: A separate Counterfeit Currency Report (CCR) should be filed for each incident of detection of counterfeit Indian currency. If the detected counterfeit currency notes can be segregated on the basis of tendering person, a separate CCR should be filed for each such incident.

EXPLANATION OF SPECIFIC TERMS

PART 1: DETAILS OF REPORTING BRANCH / LOCATION

This section contains details of the branch/location where the counterfeit currency was detected.

- 1.1 Mention name of the reporting entity (bank, financial institution).
- 1.2 Mention name of the reporting branch/location.
- 1.3 Mention any unique number issued by the regulator or any temporary code to uniquely identify each branch/ location.
- 1.4 ID allotted by FIU-IND may be left blank till the same is communicated by FIU-IND.
- 1.10 Pincode should be a valid 6 digit numeric pincode of the branch/location.

PART 2: DETAILS OF COUNTERFEIT CURRENCY

This section contains the details of counterfeit currency. Total value of counterfeit currency should match with the total calculated value of Denomination x Number of pieces.

PART 3: DETAILS OF DETECTION

3.1 Mention the date on which cash was tendered, if available. Date should be reported in YYYYMMDD format. E.g. 2nd May, 2007 should be entered as 20070502.

3.2 Mention the total cash tendered by the tenderer including counterfeit currency, if available.

3.3 Mention the date on which counterfeit currency was detected in YYYYMMDD format. E.g. 2nd May 2007 should be entered as 20070502.

3.4 Select from the following counterfeit currency detection stages

- "A"- Cash Counter by the teller
- "B"- Branch Level during sorting
- "C"- Currency Chest while counting
- "D"- Currency Verification and Processing System at RBI
- "Z"- Other

3.5 Mention Yes, if local police station has been informed.

3.6 Mention details of FIR, police station etc., if available.

3.7 Mention additional information such as quality of counterfeit currency, sequence of events, if available.

PART 4: DETAILS OF RELATED PERSONS

4.1 Person who tendered the counterfeit currency, if available.

4.2 Name of the sole/first account holder in whose account counterfeit currency was tendered, if available.

4.3 Account/Card Number of the person in whose account the counterfeit currency was tendered, if available.

The form should be signed by an officer at the branch/controlling office/head office.

SUMMARY OF COUNTERFEIT CURRENCY REPORTS*Kindly fill in CAPITAL. Read the instructions before filling the form.***PART 1 DETAILS OF THE PRINCIPAL OFFICER**

1.1 Name of Reporting Entity	<input type="text"/>		
1.2 Branch Reference Number	<input type="text"/>	1.3 ID allotted by FIU-IND	<input type="text"/>
1.4 Category of Entity	<input type="text"/>	<i>(Refer to Instructions)</i>	
1.5 Name of Principal Officer	<input type="text"/>		
1.6 Designation	<input type="text"/>		
1.7 Address (No., Building)	<input type="text"/>		
1.8 Street/Road	<input type="text"/>		
1.9 Locality	<input type="text"/>		
1.10 City/Town, District	<input type="text"/>		
1.11 State, Country	<input type="text"/>		
1.12 Pin code	<input type="text"/>	1.13 Tel (with STD code)	<input type="text"/>
1.14 Fax	<input type="text"/>	1.15 E-mail	<input type="text"/>

PART 2 STATISTICS

2.1 Number of Counterfeit Currency Reports enclosed	<input type="text"/>
2.2 Total Value of Counterfeit Currency	<input type="text"/>

DO NOT FILL. FOR FIU-IND USE ONLY	
ACK. NO.	<input type="text"/>
DATE	<input type="text"/> 2 0 0
	D D M M Y Y Y Y

Signature

Name

(Should be same as the person mentioned in PART 1)

Date

DO NOT FILL. FOR FIU-IND USE ONLY.

CCRS

SUMMARY OF COUNTERFEIT CURRENCY REPORTS (CCRs)

INSTRUCTIONS

GENERAL INSTRUCTIONS

Under the Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA), every reporting entity (bank, financial institution, intermediary) is required to furnish details of all cash transactions where forged or counterfeit currency notes of bank notes have been used as genuine. These transactions should be reported to Director, Financial Intelligence Unit, India not later than seven working days from the date of occurrence of such transactions.

One CCR should be submitted for each incident of detection of counterfeit Indian currency. If the counterfeit currency detected can be segregated on the basis of tendering person, a separate CCR should be filed for each such incident.

How to submit

The principal officer should submit this summary alongwith CCRs received from branches /locations to the Director, FIU-IND.

Address Director, FIU-IND
Financial Intelligence Unit-India
6th Floor, Hotel Samrat
Chanakyapuri, New Delhi -110021
India

EXPLANATION OF SPECIFIC TERMS**PART 1: DETAILS OF THE PRINCIPAL OFFICER**

1.3. ID allotted by FIU-IND may be left blank till the same is communicated by FIU-IND.

1.4. Category of the reporting entity

- "A"-Public Sector Bank
- "B"-Private Sector Bank
- "C"-Foreign Bank
- "D"-Co-operative Bank
- "E"-Regional Rural Bank
- "F"-Local Area Bank
- "Z"-Other

1.5. Principal officer is the officer designated under PMLA.

PART 2: STATISTICS

2.1. Number of Counterfeit Currency Reports enclosed.

2.2. Total Value of counterfeit currency detected in the enclosed reports. (Sum of value is in 2.8 of each CCR).

ALL CCRs MUST BE ENCLOSED.

ANNEX - IV

ELECTRONIC DATA STRUCTURE

Report | COUNTERFEIT CURRENCY REPORT
Version | 1.0

Contents

1.	Introduction	2
2.	Counterfeit Currency Report	2
3.	Due Date	3
4.	Methods of filing	3
5.	Manual format	3
6.	Electronic format	3
7.	Description of Data Files	4
8.	Steps in preparation of data files	4
9.	Steps in validation /sufficiency of data files	4
10.	General Notes for all Data Files	4
11.	Data Structure of Control File (CCRCTL.txt)	5
12.	Data Structure of Branch File (CCRBRC.txt)	7
13.	Data Structure of Transaction File (CCRTRN.txt)	8

Appendix

Counterfeit Currency Report Summary of Counterfeit Currency Report

1. Introduction

The Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) forms the core of the legal framework put in place by India to combat money laundering. PMLA and the Rules notified thereunder came into force with effect from July 1, 2005. Director, FIU-IND and Director (Enforcement) have been conferred with exclusive and concurrent powers under relevant Sections of the Act to implement the provisions of the Act.

2. Counterfeit Currency Report

The PMLA and Rules notified thereunder impose an obligation on banks, financial institutions and intermediaries of the securities market (reporting entity) to furnish details of all cash transactions where forged or counterfeit currency notes of bank notes have been used as genuine to the Director, FIU-IND.

A separate Counterfeit Currency Report (CCR) should be filed for each incident of detection of counterfeit Indian currency. If the detected counterfeit currency notes can be segregated on the basis of tendering person, a separate CCR should be filed for each such incident.

3. Due Date

These transactions should be reported to Director, Financial Intelligence Unit, India not later than seven working days from the date of occurrence of such transactions.

4. Methods of filing

The CCR should be submitted to the Financial Intelligence Unit – India (FIU-IND) at the following address:

Director, FIU-IND
Financial Intelligence Unit-India
6th Floor, Hotel Samrat
Chanakyapuri, New Delhi -110021, India
(Visit <http://fiuindia.gov.in> for more details)

Counterfeit Currency Reports can be filed either in manual or electronic format. However, the reporting entity must submit all reports to FIU-IND in electronic format if it has the technical capability to do so.

For reporting entities, which do not have technical capacity to generate report in electronic form, a report preparation utility for preparation of electronic Counterfeit Currency Report (CCRRPU.xls) can be downloaded from the website of the FIU-IND at <http://fiuindia.gov.in>

5. Manual format

Counterfeit Currency Reports in manual format consists of following forms:

Form	Information	Completed by
Summary of Counterfeit Currency Reports	Contains summary of enclosed CCRs	Principal officer of the reporting entity
Counterfeit Currency Report	Details of branch and counterfeit currency.	Reporting branch/office

The above forms are given in the Appendix.

6. Electronic format

FIU-IND is in the process of developing technological infrastructure to enable submission of electronic return over a secure gateway. In the interim, the reporting entities should submit the following to Director, FIU-IND:

- i) One CD containing three data files in prescribed data structure. A label mentioning name of the reporting entity, Unique code, type of report (CCR), report dated should be affixed on each CD for the purpose of identification.
- ii) Each CD should be accompanied by Summary of Counterfeit Currency Report for Reporting entity (same form should be used for both manual as well as electronic format) in physical form duly signed by the principal officer. This summary should match with the data in Control File (CCRCTL.txt).

Important:

- i) In case the size of data files exceeds the capacity of one CD, the data files should be compressed by using Winzip 8.1 or ZipItFast 3.0 (or higher version) compression utility only to ensure quick and smooth acceptance of the file.
- ii) The CD should be virus free.

7. Description of Data Files

In case of electronic filing, the consolidated CCR data should have following three data files:

S No.	Filename	Description
1	CCRCTL.txt	Control File
2	CCRBRC.txt	Branch File
3	CCRTRN.txt	Transaction File

8. Steps in preparation of data files

- i) The details of counterfeit currency should be captured in the Transaction File (CCRTRN.txt).
- ii) The details of branches should be captured in the Branch File (CCRBRC.txt).
- iii) The report level details and summary should be captured in the Control file. (CCRCTL.txt)

9. Steps in validation /sufficiency of data files

- i) There should be three data files with appropriate naming convention.
- ii) The data files should be as per specified data structure and business rules.
- iii) None of the mandatory fields should be left blank.
- iv) All dates should be entered in YYYYMMDD format.
- v) The summary figures in control file should match with the totals in other data files.
- vi) [Branch Reference Number] should be unique in Branch Data File (CCRBRC.txt)
- vii) All values of [Branch Reference Number] in Transaction Data File (CCRTRN.txt) should have matching [Branch Reference Number] value in Branch Data File (CCRBRC.txt)

10. General notes for all Data Files

- i) All Data Files should be generated in ASCII Format with ".txt" as filename extension.
- ii) Each Record (including last record) must start on new line and must end with a newline character. Hex Values: "0D" & "0A".
- iii) All CHAR fields must be left justified.
- iv) If CHAR field has no data or less data with respect to defined length, then the entire field (in case of no data) or the remaining field (in case of less data) has to be filled with right justified blank characters (Spaces).
- v) All NUM fields must be right justified.
- vi) If NUM field has no data or less data with respect to defined length, then the entire field (in case of no data) or the remaining field (in case of less data) has to be filled with left justified zeroes.
- vii) If DATE field has no data then the entire field has to be filled with blank characters (Spaces).
- viii) Fields with an asterisk (*) have to be compulsorily filled up.

- ix) For fields that do not have an asterisk (*), reasonable efforts have to be made to get the information. Enter "N/A" to indicate that the field is not applicable. Do not substitute any other abbreviations or special characters (e.g., "x", "-" or "**").

11. Data structure of Control File (CCRCTL.txt)

S. No	Field	Type	Size	From	To	Remarks
1.	Report Name*	CHAR	3	1	3	Value should be "CCR" signifying Counterfeit Currency Report
2.	Serial Number of Report*	NUM	8	4	11	Indicates the running sequence number of CCR for the reporting entity starting from 1
3.	Record Type*	CHAR	3	12	14	Value should be "CTL" signifying Control file
4.	Report Date*	NUM	8	15	22	Date of sending report to FIU-IND in YYYYMMDD format
5.	Reporting Entity Name*	CHAR	80	23	102	Complete name of the reporting entity (Bank, financial institution, intermediary)
6.	Reporting Entity Category*	CHAR	1	103	103	"A"-Public Sector Bank "B"-Private Sector Bank "C"-Foreign Bank "D"-Co-operative Bank "E"-Regional Rural Bank "F"-Local Area Bank "Z"-Other
7.	Unique code of the Reporting Entity*	CHAR	12	104	115	Unique code issued by the regulator, if applicable
8.	Unique ID issued by FIU*	CHAR	10	116	125	Use XXXXXXXXXXXX till the ID is communicated
9.	Principal Officer's Name*	CHAR	80	126	205	Field + filler spaces = 80
10.	Principal Officer's Designation*	CHAR	80	206	285	Field + filler spaces = 80
11.	Principal Officer's Address1*	CHAR	45	286	330	No., Building Field + filler spaces = 45
12.	Principal Officer's Address2	CHAR	45	331	375	Street/Road Field + filler spaces = 45
13.	Principal Officer's Address3	CHAR	45	376	420	Locality Field + filler spaces = 45
14.	Principal Officer's Address4	CHAR	45	421	465	City/Town, District Field + filler spaces = 45
15.	Principal Officer's Address5	CHAR	45	466	510	State, Country Field + filler spaces = 45

16.	Principal Officer's Pin code*	NUM	6	511	516	Pin code without "-" or space
17.	Principal Officer's Telephone	CHAR	30	517	546	Telephone in format STD Code-Telephone number
18.	Principal Officer's FAX	CHAR	30	547	576	Fax number in format STD Code-Telephone number
19.	Principal Officer's E-mail	CHAR	50	577	626	E-mail address
20.	Report Type*	CHAR	1	627	627	"N"- New Report "R"- Replacement to earlier submitted report
21.	Reason for Replacement*	CHAR	1	628	628	"A" – Acknowledgement of Original Report had many warnings or error messages. "B" – Operational error, data omitted in Original Report. "C" – Operational error, wrong data submitted in Original Report. "N"- Not Applicable as this is a new report "Z"- Other Reason
22.	Serial Number of Original Report *	NUM	8	629	636	Serial Number of the Original Report which is being replaced. Mention 0 if Report Type is "N"
23.	Operational Mode*	CHAR	1	637	637	"P"- Actual/ Production mode "T"- Test / Trial mode
24.	Data Structure Version*	CHAR	1	638	638	Value should be 1 to indicate Version 1.0
25.	Number of Counterfeit Currency Reports*	NUM	8	639	646	Number of CCRs enclosed in this summary. This figure should match with the number of records in CCRTRN.txt
26.	Total Value of Counterfeit Currency*	NUM	12	647	658	Total Value of Counterfeit Currency reported in enclosed CCRs. This figure should match with the sum of the Field Total Counterfeit Currency (S. No. 11) in CCRTRN.txt

12. Data structure of Branch File (CCRBRC.txt)

S. No.	Field	Type	Size	From	To	Remarks
1.	Record Type	CHAR	3	1	3	Value should be "BRC" signifying Control file
2.	Line Number*	NUM	6	4	9	Running Sequence Number for each line in the file starting from 1. This Number will be used during validation checks.
3.	Name of Branch*	CHAR	80	10	89	Name of branch/location where the counterfeit currency was tendered Field + filler spaces = 80
4.	Branch Reference Number*	CHAR	12	90	101	Unique Code issued by the regulator or any temporary code to uniquely identify each branch/office
5.	Unique ID issued by FIU*	CHAR	10	102	111	Use XXXXXXXXXXXX till the ID is communicated
6.	Branch Address1*	CHAR	45	112	156	No., Building Field + filler spaces = 45
7.	Branch Address2*	CHAR	45	157	201	Street/Road Field + filler spaces = 45
8.	Branch Address3	CHAR	45	202	246	Locality Field + filler spaces = 45
9.	Branch Address4	CHAR	45	247	291	City/Town, District Field + filler spaces = 45
10.	Branch Address5	CHAR	45	292	336	State, Country Field + filler spaces = 45
11.	Branch Pin code*	NUM	6	337	342	Pin code without "-" or space
12.	Branch Telephone	CHAR	30	343	372	Telephone number in format STD Code-Telephone number
13.	Branch Fax	CHAR	30	373	402	Fax number in format STD Code-Telephone number
14.	Branch E-mail	CHAR	50	403	452	E-mail address

13. Data structure of Transaction File (CCRTRN.txt)

S. No.	Field	Type	Size	From	To	Remarks
1.	Record Type*	CHAR	3	1	3	Value should be "TRN" signifying Transaction data file
2.	Line Number*	NUM	6	4	9	Running Sequence Number for each line in the file starting from 1. This Number will be used during validation checks.
3.	Branch Reference Number*	CHAR	12	10	21	Branch Reference Number of branch/location where counterfeit currency was tendered. Use any unique number issued by the regulator or any temporary code to uniquely identify each branch/ location
4.	Denomination1000	NUM	10	22	31	Number of counterfeit currency notes of Rs. 1000/- each
5.	Denomination500	NUM	10	32	41	Number of counterfeit currency notes of Rs. 500/- each
6.	Denomination100	NUM	10	42	51	Number of counterfeit currency notes of Rs. 100/- each
7.	Denomination50	NUM	10	52	61	Number of counterfeit currency notes of Rs. 50/- each
8.	Denomination20	NUM	10	62	71	Number of counterfeit currency notes of Rs. 20/- each
9.	Denomination10	NUM	10	72	81	Number of counterfeit currency notes of Rs. 10/- each
10.	Denomination5	NUM	10	82	91	Number of counterfeit currency notes of Rs. 5/- each
11.	Total Counterfeit Currency	NUM	10	92	101	Value of counterfeit currency detected. This value should match with the value derived from the number of notes mentioned in S. No. 4 to 10 above.
12.	Tendering Date	NUM	8	102	109	Date of tendering counterfeit currency in YYYYMMDD format, if available. E.g.: 2 nd May 2007 should be written as 20070502
13.	Total Cash Tendered	NUM	20	110	129	Total Cash tendered by the tenderer including the counterfeit currency, if available
14.	Detection Date*	NUM	8	130	137	In YYYYMMDD format E.g.: 2 nd May 2007 should be written as 20070502
15.	Detected At*	CHAR	1	138	138	"A"- Cash Counter "B"- Branch Level "C"- Currency Chest "D"- RBI's CVPS "Z"- Other

16.	Police Informed	CHAR	1	139	13 9	Y – for Yes, N – for No
17.	FIR Detail	CHAR	80	140	21 9	FIR, Police Station details etc., if available
18.	Additional Information	CHAR	80	220	29 9	Additional Information such as quality of counterfeit currency, sequence of events, if available
19.	Name of Tendering Person	CHAR	80	300	37 9	Person who tendered the counterfeit currency, if available.
20.	Name of Account Holder	CHAR	80	380	45 9	Name of the Sole/First account holder in whose account the counterfeit currency was tendered, if available.
21.	Account Number	CHAR	20	460	47 9	Account/Card Number of the person in whose account the counterfeit currency was tendered, if available.

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा बैंकों को जारी दिशानिर्देश

'अपने ग्राहकों को जानने' संबंधी मानदंडों तथा धनशोधन
निवारण उपायों के बारे में दिशानिर्देश (मार्गदर्शी सिद्धांत)

'अपने ग्राहकों को जानने' संबंधी मानदंड

1. "अपने ग्राहकों को जानने" संबंधी दिशानिर्देशों का लक्ष्य आपराधिक तत्वों द्वारा धन शोधन गतिविधियों के लिए बैंकों का इच्छित या अनिच्छित रूप से उपयोग हो जाने से रोकना है। "अपने ग्राहकों को जानने" संबंधी प्रक्रिया से बैंक अपने ग्राहकों एवं उनके वित्तीय लेनदेनों को बेहतर रूप में जानने/समझने में समर्थ हो सकेंगे जिससे उन्हें अपने जोखिमों को विवेकपूर्वक प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। बैंक निम्नलिखित चार मुख्य तत्वों को शामिल करके "अपने ग्राहकों को जानने" संबंधी अपनी नीतियों का निर्धारण करें:

- (i) 'ग्राहक स्वीकरण नीति (सी ए पी);
- (ii) ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सी आर पी);
- (iii) लेन-देनों की निगरानी; और
- (iv) जोखिम प्रबंधन

"अपने ग्राहक को जानिए" नीति के प्रयोजन हेतु "ग्राहक" की परिभाषा निम्नानुसार दी गयी है :

- कोई व्यक्ति या संस्था जो खाता खोलता /खोलती है और / या जिसका बैंक के साथ कारोबारी संबंध है;

- कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसकी ओर से खाता खोला जाता है (अर्थात् हितार्थी स्वामी);
- व्यावसायिक मध्यस्थों, जैसे स्टॉक ब्रोकर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, सॉलीसिटर इत्यादि, द्वारा, जैसा कि कानून द्वारा अनुमत हो, किये गये लेन-देन के हिताधिकारी, और
- किसी वित्तीय लेन-देन जो बैंक के लिए प्रतिष्ठा संबंधी या कोई अन्य बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है - जैसे किसी एक लेन-देन से रूप में तार अंतरण या उच्च मूल्य का मांग ड्राफ्ट जारी किया जाना, से जुड़ा कोई व्यक्ति या संस्था ।

ग्राहक स्वीकरण नीति (सी ए पी)

2. बैंकों को ग्राहकों को स्वीकार करने के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित करके एक स्पष्ट ग्राहक स्वीकरण नीति तैयार करनी चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहक स्वीकरण नीति में बैंक में ग्राहक-संबंध के निम्नलिखित पहलुओं पर स्पष्ट दिशानिर्देश निश्चित कर दिये गये हैं ।

- (i) अज्ञातनाम / छद्मनाम से या फर्जी /बेनामी नामों से कोई खाता न खोला जाय;
- (ii) कारोबार के स्वरूप, ग्राहक के स्थान, भुगतान के तरीके, टर्न ओवर की मात्रा, ग्राहक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इत्यादि के अनुसार जोखिम निर्धारण संबंधी मानदंड स्पष्टतः निश्चित कर दिए जाने चाहिए ताकि ग्राहकों को कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम श्रेणियों (बैंक अन्य उपयुक्त नाम भी चुन सकते हैं - जैसे स्तर I, स्तर II और स्तर III) में विभाजित किया जा सके; जिन ग्राहकों के लिए बहुत उच्च स्तर की मॉनिटरिंग जरूरी है - जैसे

पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन को आवश्यकता पड़ने पर और उच्चतर श्रेणी में रखा जा सकता है;

- (iii) संभावित जोखिम के आधार पर और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अपेक्षाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के मामले में दस्तावेजों संबंधी अपेक्षाएँ तथा एकत्र की जाने वाली अन्य सूचना;
- (iv) जिन मामलों में बैंक ग्राहकों के संबंध में उचित सावधानी संबंधी उपाय लागू न कर पायें जैसे जिन मामलों में ग्राहक के असहयोग के कारण या बैंक को उपलब्ध कराये गए आंकड़ों / सूचना की अविश्वसनीयता के कारण जोखिम की श्रेणी के अनुसार बैंक ग्राहक की पहचान का सत्यापन कर सकने में असमर्थ हो, उन मामलों में खाता न खोलना या मौजूदा खाते बंद कर देना। तथापि, यह जरूरी है कि इस मामले में पूर्व निश्चित व्यवस्था विद्यमान हो ताकि किसी ग्राहक को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। उदाहरण के लिए किसी ग्राहक को, उसका खाता बंद करने के निर्णय का कारण बताते हुए उसे उचित नोटिस देने के बाद ही, काफी उच्च स्तर पर खाता बंद करने का निर्णय लिया जाना चाहिए।
- (v) जिन परिस्थितियों में किसी ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति / संस्था की ओर से काम करने की अनुमति दी जाए उनके बारे में, स्थापित बैंकिंग विधि और व्यवहार के अनुरूप स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे अवसर आ सकते हैं जब किसी आदेश-धारक (मैनडेट होल्डर) द्वारा कोई खाता परिचालित किया जाए या किसी मध्यस्थ द्वारा न्यासीय क्षमता में / हैसियत से खाता खोला जाए, और
- (vi) कोई नया खाता खोलने से पहले आवश्यक जांच-पड़ताल करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई ग्राहक किसी ऐसे व्यक्ति से मेल न खाता हो जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि हो या जिस पर

प्रतिबंध लगा दिया गया हो जैसे आतंकवादी व्यक्ति आतंकवादी संगठन इत्यादि)।

बैंक जोखिम की श्रेणी का ध्यान रखते हुए प्रत्येक नये ग्राहक के लिए एक प्रोफाइल तैयार करें। ग्राहक की प्रोफाइल में ग्राहक की पहचान, उसकी सामाजिक /आर्थिक हैसियत, उसके कारोबार का स्वरूप, उसके ग्राहकों के कारोबार तथा स्थान से संबंधित सूचना शामिल की जानी चाहिए। उचित सावधानी का स्वरूप और उसकी सीमा बैंक द्वारा अनुमानित जोखिम पर निर्भर होगी। तथापि, ग्राहकों की प्रोफाइल तैयार करते समय बैंकों को ग्राहकों से केवल वही सूचना मांगनी चाहिए जो जोखिम की श्रेणी के अनुरूप (से संबंध रखती) हो तथा वे ऐसी कोई सूचना न मांगें जो अनावश्यक दखलंदाजी (अंतर्वेधी) हो। ग्राहक -प्रोफाइल एक गोपनीय दस्तावेज होगी तथा उसमें दिये गये विवरण सेवाओं के प्रतिविक्रय या किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रकट नहीं किये जाएंगे।

जोखिम वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए, उन व्यक्तियों (उच्च मालियत वालों को छोड़कर) और कंपनियों को, जिनके संबंध में पहचान तथा संपत्ति के स्रोतों का आसानी से पता लगाया जा सकता है और जिनके खातों के लेनदेन कुल मिलाकर ज्ञात प्रोफाइल के अनुरूप हैं, कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत करें। कम जोखिम वाले ग्राहकों के उदाहरण हैं- वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी जिनके वेतन का ढांचा सुपरिभाषित है; समाज के निम्न आर्थिक स्तर वाले लोग जिनके खातों में छोटी शेषराशियाँ और कम लेनदेन होता है; सरकारी विभाग एवं सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां, विनियामक और सांविधिक निकाय, आदि। ऐसे मामलों में, केवल पहचान और ग्राहक के पते का सत्यापन करने की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना नीतिगत अनिवार्यता होगी। जो ग्राहक बैंक के लिए औसत से उच्चतर जोखिम पैदा करने की संभावना रखते हैं उन्हें मध्यम अथवा उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाए जो ग्राहक की पृष्ठभूमि, कार्यकलाप का स्वरूप और स्थान, मूल देश, निधियों के स्रोत और उसके ग्राहक के प्रोफाइल आदि

पर निर्भर होगा। बैंक जोखिम मूल्यांकन पर आधारित उचित सावधानी बरतने के और अधिक उपाय करें, जिसमें यह अपेक्षित होगा कि विशेषकर जिनके निधियों के स्रोत स्पष्ट नहीं हैं ऐसे उच्चतर जोखिम वाले ग्राहकों के लिए गहन 'उचित सावधानी' लागू की जाए। जिनके लिए उच्चतर उचित सावधानी आवश्यक है ऐसे ग्राहकों के उदाहरण हैं; (क) अनिवासी ग्राहक, (ख) उच्च मालियत वाले व्यक्ति, (ग) न्यास, धर्मादाय, गैर-सरकारी संगठन और दानराशियां प्राप्त करने वाले संगठन, (घ) ऐसी कंपनियां जिनमें निकट परिवार में शेयरधारिता अथवा हितार्थी स्वामित्व है, (ङ) 'निष्क्रिय साझेदार' वाले फर्म, (च) विदेशी मूल के पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन (पी ई पी), (छ) अप्रत्यक्ष (नॉन फेस टू फेस) ग्राहक, तथा (ज) उपलब्ध सार्वजनिक सूचना के अनुसार धोखेबाज के रूप में बदनाम ग्राहक आदि।

यह बात ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि ग्राहक स्वीकरण नीति को अपनाना एवं उसका कार्यान्वयन अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नहीं होना चाहिए और इसका परिणाम सामान्य जनता, विशेषकर वित्तीय और सामाजिक तौर पर प्रतिकूल परिस्थिति वाले लोगों को बैंकिंग सेवाएं नकारने में नहीं होना चाहिए ।

ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सी आई पी)

3. बैंकों के बोर्डों द्वारा अनुमोदित उक्त नीति में विभिन्न स्तरों पर, अर्थात् बैंकिंग संबंध स्थापित करते समय, वित्तीय लेनदेन करते समय अथवा यदि पहले प्राप्त की गई ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी की विश्वसनीयता /सत्यता अथवा पर्याप्तता के बारे में बैंक को कोई संदेह हो तो उस समय, की जाने वाली ग्राहकों को पहचानने की क्रियाविधि की सुस्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। ग्राहक की पहचान से तात्पर्य ग्राहक को अभिनिर्धारित करना और विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत दस्तावेजों, डेटा या सूचना द्वारा उनका सत्यापन करना। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रत्येक नये ग्राहक, चाहे वह नियमित हो या यदा-कदा आने वाला हो का अभिनिर्धारण अपनी संतुष्टि होने तक करने हेतु आवश्यक पर्याप्त

जानकारी और उसके बैंकिंग संबंध के अभिप्रेत स्वरूप के प्रयोजन की जानकारी प्राप्त करें। संतुष्ट होने का अर्थ यह है कि संबंधित बैंक सक्षम प्राधिकारियों को इस बात से संतुष्ट करा सकता है कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में ग्राहक के संबंध में जोखिम के स्वरूप पर आधारित उचित सावधानी बरती गई है। इस प्रकार का जोखिम आधारित दृष्टिकोण बैंकों के अनावश्यक खर्च से बचने तथा ग्राहकों की दृष्टि से बोज़िल व्यवस्था को टालने के लिए आवश्यक है। जोखिम निर्धारण के अलावा, आवश्यक सूचना/दस्तावेजों का स्वरूप भी ग्राहक के प्रकार (वैयक्तिक, कंपनी आदि) पर निर्भर होगा। जो ग्राहक 'नेचुरल' व्यक्ति हैं, बैंकों को चाहिए कि उनसे उनकी पहचान उनका पता/स्थान सत्यापित करने के लिए पर्याप्त अभिनिर्धारण डेटा तथा उनका हाल ही का फोटोग्राफ भी प्राप्त करें। जो ग्राहक विधिक व्यक्ति अथवा संस्थाएँ हैं, उनके लिए बैंक को चाहिए कि वे (i) उचित एवं संगत दस्तावेजों के माध्यम से उक्त विधिक व्यक्ति /संस्था के विधिक दर्जे का सत्यापन करें, (ii) विधिक व्यक्ति /संस्था की ओर से कार्य करने का दावा करने वाले व्यक्ति के बारे में यह सत्यापित करें कि उसे इसके लिए प्राधिकृत किया गया है, और उस व्यक्ति विशेष की पहचान को सत्यापित किया जाए, (iii) ग्राहक के स्वामित्व और नियंत्रण संरचना को समझें और अंततः विधिक व्यक्ति का नियंत्रण करने वाले 'नेचुरल' व्यक्तियों को निर्धारित करें। बैंकों के मार्गदर्शन के लिए कुछ विशिष्ट मामलों के संबंध में ग्राहक पहचान अपेक्षाएँ, विशेषकर ऐसे विधिक व्यक्ति के संबंध में जिनके लिए अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है, अनुबंध II में दी गयी हैं। तथापि, बैंक ऐसे व्यक्तियों /संस्थाओं के साथ व्यवहार संबंधी अपने अनुभव, सामान्य बैंकों के विवेक तथा स्थापित प्रथाओं के अनुसार विधिक आवश्यकताओं के आधार पर अपने आंतरिक दिशानिर्देश तैयार करें। यदि बैंक ग्राहक स्वीकृति नीति के अनुसरण में ऐसे खातों को स्वीकार करने का निर्णय लेता है तो संबंधित बैंक को चाहिए कि वे हितार्थी स्वामी /स्वामियों को अभिनिर्धारित करने हेतु समुचित कदम उठाएँ और उसकी /उनकी पहचान इस प्रकार करें ताकि इस बात की संतुष्टि हो जाए कि हितार्थी स्वामी कौन हैं। ग्राहक की पहचान करने

के लिए जिन दस्तावेजों/सूचनाओं के स्वरूप तथा प्रकार पर निर्भर हुआ जा सकता है उनकी उदाहरण रूपी सूची अनुबंध III में दी गई है।

लेनदेनों की निगरानी

4. “अपने ग्राहक को जानिए” संबंधी कारगर क्रियाविधियों का अनिवार्य तत्व है निरंतर निगरानी। बैंक केवल तभी प्रभावी ढंग से अपनी जोखिम का नियंत्रण कर सकते हैं और उसे कम कर सकते हैं जब उनमें ग्राहक की सामान्य और समुचित गतिविधि की समझ हो ताकि इससे गतिविधि के नियमित पैटर्न से बाहर के लेनदेनों का पता लगाने के साधन उनके पास उपलब्ध हो जाएं। तथापि, निगरानी किस सीमा तक होगी वह उस खाते के जोखिम की संवेदनशीलता पर निर्भर होगा। बैंकों को चाहिए कि वे सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेनों और सभी ऐसी असामान्य बातें, जिनका कोई सुस्पष्ट आर्थिक अथवा दृश्य वैध प्रयोजन न हो, की ओर विशेष ध्यान दें। बैंक खातों की किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए प्रारंभिक सीमाएं निर्धारित करें और इन सीमाओं को लांघने वाले लेनदेनों की ओर विशेष ध्यान दें। बड़ी नकद राशि वाले लेनदेन, जो संबंधित ग्राहक की सामान्य और अपेक्षित गतिविधि के अनुरूप नहीं हैं, की ओर बैंक का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित होना चाहिए। रखी गयी शेष राशि के आकार के अनुरूप न होने वाले बहुत बड़े लेनदेन यह दर्शाते हैं कि उस खाते से बड़ी-बड़ी निधियां निकाली जा रही है। उच्च जोखिम वाले खातों पर सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए। प्रत्येक बैंक को ग्राहक की पृष्ठभूमि, जैसे - मूल देश, निधियों के स्रोत, निहित लेनदेनों के प्रकार और जोखिम के अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे खातों के लिए महत्वपूर्ण संकेतक निश्चित करना चाहिए। बैंकों को खातों के जोखिम वर्गीकरण और उचित सावधानी के और अधिक उपाय लागू करने की आवश्यकता की आवधिक समीक्षा की प्रणाली आरंभ करनी चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खातों से हुए लेन-देनों के अभिलेख एवं उनका अनुरक्षण धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 12 की अपेक्षानुसार किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संदिग्ध प्रकार के और/या किसी

अन्य प्रकार के लेन-देन जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अंतर्गत अधिसूचित हैं, के ब्योरे कानून व्यवस्था लागू करने वाले उचित प्राधिकारी को रिपोर्ट किए जाएं।

बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाएं रु.10 लाख एवं अधिक के सभी नकद लेन-देनों (जमा एवं आहरण) के उचित अभिलेख रखें। आंतरिक निगरानी प्रणाली में यह बात अंतःस्थापित होनी चाहिए कि ऐसे लेन-देनों एवं संदिग्ध प्रकार के लेन-देनों की सूचना नियंत्रक/प्रधान कार्यालय को पाक्षिक आधार पर दी जाए।

जोखिम प्रबंधन

5. बैंक के निदेशक बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित क्रियाविधियों को स्थापित करके और प्रभावी रूप में उन्हें कार्यान्वित करके 'अपने ग्राहक को जानिए' कार्यक्रम को प्रभावी रूप में लागू किया जाए। इसमें उचित प्रबंधन निरीक्षण, प्रणालियां तथा नियंत्रण, कार्यो का पृथक्करण, प्रशिक्षण तथा अन्य संबंधित मामले शामिल होने चाहिए। बैंक की नीतियों तथा क्रियाविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के भीतर ही उत्तरदायित्व का स्पष्ट विनियोजन/आबंटन किया जाए। बैंक लेनदेन, खाते अथवा बैंकिंग/व्यापारिक संबंधों में निहित जोखिम को ध्यान में रखते हुए, अपने बोर्ड के साथ परामर्श करके अपने मौजूदा तथा नये ग्राहकों का जोखिम प्रोफाइल तैयार करने की क्रियाविधियां बनाएं तथा धन शोधन निवारण के लिए विभिन्न उपायों को लागू करें।

'अपने ग्राहक को जानिए' नीतियों तथा क्रियाविधियों के मूल्यांकन तथा उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने में बैंक की आंतरिक लेखा-परीक्षा तथा अनुपालन

संबंधी गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्य नियमानुसार, अनुपालन कार्य में बैंक की अपनी नीतियों तथा क्रियाविधियों का, जिनमें विधिक तथा विनियामक अपेक्षाएं शामिल हैं, स्वतंत्र मूल्यांकन निहित होना चाहिए। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी लेखा-परीक्षा व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति कार्यरत हैं जो ऐसी नीतियों तथा क्रियाविधियों से भली-भाँति परिचित हैं। समवर्ती /आंतरिक लेखा-परीक्षकों को विशेष रूप से शाखाओं में 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधियों की जांच करनी चाहिए तथा उन्हें लागू किये जाने को सत्यापित करना चाहिए तथा इस संबंध में पायी गयी कमियों पर टिप्पणी देनी चाहिए। संबंधित अनुपालन रिपोर्ट को बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष तिमाही अंतरालों पर प्रस्तुत किया जाए।

बैंकों में कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अवश्य चलते रहने चाहिए ताकि स्टाफ सदस्य 'अपने ग्राहक को जानने' की प्रक्रिया के संबंध में पर्याप्त रूप में प्रशिक्षित हो जाएं। पहली पंक्ति (frontline) के स्टाफ, अनुपालन-स्टाफ तथा नए ग्राहकों से व्यवहार करने वाले स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न स्वरूप के फोकस की अपेक्षा होगी। यह महत्वपूर्ण है कि इस विषय/कार्य से संबंधित सभी व्यक्ति 'अपने ग्राहक को जानने' संबंधी नीतियों के पीछे की संगति/आवश्यकता को समझें और उन्हें सतत रूप में लागू करें।

ग्राहक शिक्षण

6. 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधि के कार्यान्वयन के संदर्भ में बैंकों के लिए ग्राहकों से कुछ ऐसी जानकारी मांगना आवश्यक होता है जो वैयक्तिक स्वरूप की हो अथवा जिसकी इसके पहले कभी मांग न की गयी हो। इससे कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि ग्राहक ऐसी जानकारी माँगने के उद्देश्य तथा प्रयोजन के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे। अतः ग्राहक को 'अपने ग्राहक को जानिए' कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक संबंधित विशिष्ट साहित्य/प्रचार-पुस्तिका आदि तैयार करें। फ्रंट डेस्क स्टाफ को ग्राहकों

के साथ बातचीत करते समय ऐसी परिस्थितियों को संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

नयी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग - क्रेडिट कार्ड /डेबिट कार्ड /स्मार्ट कार्ड /गिफ्ट कार्ड

7. बैंकों को नयी अथवा विकासशील प्रौद्योगिकियों जिनमें इंटरनेट बैंकिंग शामिल है, जिसके कारण धन के स्रोत का पता नहीं चलता, इनसे उभरने वाले धन शोधन से संबंधित जोखिमों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो धन शोधन योजनाओं में उनके उपयोग को रोकने के उपाय करने चाहिए ।

अनेक बैंक विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने के व्यवसाय में लगे हैं। ग्राहक उनका उपयोग माल खरीदने तथा सेवाएं लेने, ए टी एम से नकद राशि आहरित करने के लिए करते हैं। निधियों के इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के लिए भी इनका उपयोग हो सकता है। सामान्यतः इन कार्डों की मार्केटिंग एजेंटों की सेवाओं के माध्यम से की जाती है। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों को कार्ड जारी करने से पूर्व 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधियों को उचित रूप में तत्संबंध में लागू किया जाए। यह भी वांछनीय है कि एजेंट पर भी 'अपने ग्राहक को जानिए' उपाय लागू किये जाएं।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इस नीति को क्रेडिट कार्ड जारी करने के मामले में अपनाएं, क्योंकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, स्टोर वैल्यू कार्ड, चार्ज कार्ड आदि जारी करने की अनुमति नहीं है।

मौजूदा खातों के संबंध में "अपने ग्राहक को जानने" संबंधी मानदण्ड

8. बैंकों को 24 नवंबर 2003, 16 दिसंबर 2003 तथा 21 जून 2004 के क्रमशः परिपत्र सं. बैंपविवि. एएमएल.बीसी.47/14.01.001/2003-04, बैंपविवि.एएमएल.बीसी.129/14.01.001/2003-04 तथा बैंपविवि. एएमएल.बीसी. 101/14.01.001/2003-04 में सूचित किया गया था कि वे 16 अगस्त 2002 के हमारे परिपत्र सं.बैंपविवि. एएमएल.बीसी. 18/14.01.001/2002-03 में यथा सूचित "अपने ग्राहक को जानने" संबंधी

मानदण्डों को सभी मौजूदा ग्राहकों के संबंध में समयबद्ध रूप में लागू करें।[गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 6 जनवरी 2004 के हमारे परिपत्र सं. गैरबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 34/2003-04 में सूचित किया गया था कि वे अपने सभी मौजूदा ग्राहकों के संबंध में "अपने ग्राहक को जानने" संबंधी मानदण्डों को समयबद्ध रूप में लागू करें।] जबकि पुनरीक्षित दिशानिर्देश सभी नए ग्राहकों पर लागू होंगे, वहीं बैंक उन्हें मौजूदा ग्राहकों पर भी तथ्यों एवं जोखिम के आधार पर लागू करेंगे। तथापि, मौजूदा खातों से हुए लेन-देनों की निगरानी सतत आधार पर की जाए एवं खाते से हुए असामान्य स्वरूप के परिचालन इस बात का संकेत देंगे कि ग्राहक के संबंध में उचित सावधानी उपायों (CDD) की समीक्षा जाए। बैंक ऐसे खातों के स्वरूप के आधार पर उन पर मौद्रिक सीमा लगाने पर विचार कर सकते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कंपनियों, फर्मों, न्यासों, धर्मादायों, धार्मिक संगठनों एवं अन्य संस्थाओं के मौजूदा खातों पर "अपने ग्राहक को जानने" संबंधी न्यूनतम मादण्ड लागू किए जाएं, जिससे नेचुरल /विधिक व्यक्ति तथा हितधारी स्वामियों की पहचान हो सकेगी। बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि मियादी तथा आवर्ती जमा खातों या उन्हीं के स्वरूप के अन्य खातों को नवीकरण के समय, नए खाते माना जाए एवं उन्हें "अपने ग्राहक को जानने" संबंधी पुनरीक्षित मानदण्डों की प्रक्रिया से जांचा जाए/गुजारा जाए।

जहां ग्राहक द्वारा जानकारी प्रस्तुत न करने तथा /अथवा ग्राहक के असहयोग के कारण बैंक को 'अपने ग्राहक को जानने' के उपाय लागू करना संभव नहीं है, वहां बैंक अपने ग्राहक को ऐसा निर्णय लेने के कारण स्पष्ट करने वाली एक सूचना जारी करने के बाद, खाता बंद करने अथवा उस ग्राहक से बैंकिंग /व्यावसायिक संबंध समाप्त करने पर विचार कर सकता है। ऐसे निर्णय उचित वरिष्ठ स्तर पर लेना आवश्यक है।

भारत से बाहर की शाखाओं तथा सहायक कंपनियों पर उक्त मानदण्डों का लागू होना

9. उक्त दिशानिर्देश भारत से बाहर, विशेषकर एफएटीएफ संस्तुतियों को या तो लागू न करने वाले या अपर्याप्त रूप में लागू करने वाले देशों में स्थित शाखाओं एवं प्रमुख रूप से स्वाधिकृत सहायक कंपनियों पर भी उस सीमा तक लागू होंगे जहाँ तक उस देश के कानून अनुमति देते हैं। जब लागू स्थानीय कानून एवं विनियमन इन दिशानिर्देशों को लागू करने पर प्रतिबंध/रोक लगाते हों तो ऐसे मामले को रिज़र्व बैंक के ध्यान में लाया जाए।

प्रधान अधिकारी

10. बैंक किसी वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी को प्रधान अधिकारी के रूप में पदनामित करें। प्रधान अधिकारी बैंक के मुख्य / कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर होगा तथा उस पर सभी लेन-देनों की निगरानी तथा रिपोर्टिंग तथा कानून के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी के अदान-प्रदान का दायित्व होगा। इस अधिकारी को प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों तथा किसी अन्य संस्था जो कि धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध संघर्ष में शामिल है, के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना होगा।

ग्राहक पहचान संबंधी अपेक्षाएं - साकेतिक दिशानिर्देश

न्यास/नामिती अथवा न्यासी खाते

यह संभावना हो सकती है कि न्यास /नामिती अथवा न्यासी खातों का, ग्राहक पहचान क्रियाविधियों से बचने के लिए उपयोग किया जा सकता है। बैंकों को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि क्या ग्राहक न्यासी /नामिती अथवा किसी अन्य मध्यवर्ती के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा है। यदि ऐसा है तो बैंक को उन ग्राहकों से, जिनकी ओर से वे काम कर रहे हैं, उन मध्यवर्तियों अथवा व्यक्तियों की पहचान का संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए तथा न्यास के स्वस्व तथा अन्य निर्धारित व्यवस्थाओं के ब्यौरे भी प्राप्त करना चाहिए। किसी न्यास के लिए खाता खोलते समय, बैंकों को न्यासियों तथा न्यास के अवस्थापकों (जिनमें न्यास में आस्तियां लगाने वाला कोई व्यक्ति शामिल है), अनुदान देनेवालों, संरक्षकों, हिताधिकारियों तथा - हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान को सत्यापित करने की उचित सावधानी बरतनी चाहिए। हिताधिकारियों को जब भी परिभाषित किया गया हो तब उनकी पहचान कर ली जानी चाहिए। फाउंडेशन के मामले में, संस्थापक प्रबंधकों /निदेशकों तथा हिताधिकारियों को जब भी परिभाषित किया गया हो तब उनका सत्यापन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

कंपनियों तथा फर्मों के खाते

बैंकों में खाते रखने के लिए व्यक्तियों द्वारा बिजनेस कंपनियों का एक 'फ्रंट' के रूप में उपयोग करने के मामले में बैंकों को सतर्क रहना आवश्यक है। बैंकों को कंपनी के नियंत्रक ढांचे की जांच करनी होगी, निधियों के स्रोत का पता करना होगा तथा उन नेचुरल व्यक्तियों की पहचान करनी होगी जिनका नियंत्रक हित है और जो प्रबंधतंत्र का एक हिस्सा हैं। इन अपेक्षाओं को जोखिम-बोध के अनुसार कम-

अधिक किया जा सकता है -उदाहरण के लिए, सार्वजनिक कंपनी के मामले में सभी शेयरधारकों को पहचानना आवश्यक नहीं होगी।

व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा खोले गये ग्राहक खाते

जब किसी बैंक को यह पता है अथवा ऐसा विश्वास करने का कारण है कि व्यावसायिक मध्यवर्ती द्वारा खोला गया ग्राहक खाता किसी एकल ग्राहक के लिए है तो उस ग्राहक की पहचान कर ली जानी चाहिए। बैंकों के पास म्युच्युअल निधियों, पेन्शन निधियों अथवा अन्य प्रकार की निधियों जैसी संस्थाओं की ओर से व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा प्रबंधित 'समूहित' खाते हो सकते हैं। बैंकों में विविध प्रकार के ग्राहकों के लिए 'ऑन डिपॉजिट' अथवा 'इन एस्क्रो' धारित निधियों के लिए वकीलों/ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अथवा स्टॉक ब्रोकरों द्वारा प्रबंधित 'समूहित' खाते भी होते हैं। जहां मध्यवर्तियों द्वारा धारित निधियां बैंक में एक साथ मिश्रित नहीं होती हैं और बैंक में 'उप-खाते' भी हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी एक हितार्थी स्वामी का खाता हो, वहां सभी हितार्थी स्वामियों की पहचान करनी होगी। जहां ऐसी निधियों को बैंक में एक साथ मिश्रित किया गया है, वहां भी बैंक को हितार्थी स्वामियों की पहचान करनी चाहिए। जहां बैंक, किसी मध्यवर्ती द्वारा की गयी 'ग्राहक संबंधी उचित सतर्कता/सावधानी' पर निर्भर हैं वहां उन्हें अपने को इस बात से संतुष्ट करना होगा कि मध्यवर्ती नियंत्रित तथा पर्यवेक्षित है और उसने अपने यहां "अपने ग्राहक को जानिए" अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राहक को जानने का अंतिम दायित्व बैंक का है।

भारत के बाहर रहने वाले पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन (पी इ पी) के खाते

पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन वे व्यक्ति हैं जो विदेश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य करते हैं अथवा ऐसे कार्य उन्हें सौंपे गये हैं- उदाहरण के लिए राज्यों अथवा सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ सरकारी /न्यायिक/ सेना अधिकारी, राजकीय स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ कार्यपालक, महत्वपूर्ण

राजनीतिक पार्टी के पदधारी (कार्यकर्ता) इत्यादि। बैंक संबंध स्थापित करने का उद्देश्य रखने वाले इस श्रेणी के किसी व्यक्ति /ग्राहक के मामले में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करें तथा उस व्यक्ति के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समस्त जानकारी की जांच करें। बैंकों को पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन को ग्राहक के रूप में स्वीकार करने से पहले इस व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करना चाहिए और इन निधियों के स्रोत की जानकारी हासिल करनी चाहिए। पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन के लिए खाता खोलने का निर्णय ग्राहक स्वीकरण नीति में स्पष्टतः निर्धारित वरिष्ठ स्तर पर लिया जाए। बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे खातों की निरंतर आधार पर अधिक मॉनीटरिंग करें। इन उपर्युक्त मानदंडों को पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन के परिवार के सदस्यों अथवा नजदीकी रिश्तेदारों के खातों के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए।

अप्रत्यक्ष (नॉन फेस टू फेस) ग्राहकों के खाते

टेलीफोन और इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग के प्रचलन से बैंकों द्वारा ग्राहकों के लिए अधिकाधिक खाते खोले जा रहे हैं जिसके लिए ग्राहकों के बैंक शाखा में आने की आवश्यकता नहीं होती। अप्रत्यक्ष ग्राहकों के मामले में, ग्राहक की सामान्य पहचान क्रियाविधि लागू करने के अलावा निहित उच्चतर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से विशिष्ट और पर्याप्त क्रियाविधियों की आवश्यकता है। सभी प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण पर जोर दिया जाय और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त दस्तावेजों की माँग की जाए। ऐसे मामलों में, बैंक ग्राहक के दूसरे बैंक खाते के जरिए पहला भुगतान करने की अपेक्षा भी रख सकते हैं जिसमें 'अपने ग्राहक को जानने' के समान मानकों का पालन होता है। सीमा पार ग्राहकों के मामले में ग्राहक के दस्तावेजों के साथ मेल मिलाने की अतिरिक्त कठिनाई होती है और ऐसी स्थिति में बैंक को तीसरी पार्टी के प्रमाणीकरण/पहचान पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तीसरी पार्टी एक विनियमित और पर्यवेक्षित संस्था है और वहां पर 'अपने ग्राहक को जानने' की प्रणाली पर्याप्त रूप में कार्यरत है।

संपर्ककर्ता बैंकिंग (कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग)

संपर्ककर्ता बैंकिंग में एक बैंक (संपर्ककर्ता बैंक) से दूसरे बैंक (रिस्पॉन्डेंट बैंक) में बैंकिंग सेवा का प्रावधान रहता है। इन सेवाओं में नकद/निधियों का प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय तार अंतरण, मांग ड्राफ्ट आहरण और डाक अंतरण व्यवस्था, खातों के जरिए देय व्यवस्था, चेक समाशोधन आदि का समावेश रहता है। संपर्ककर्ता बैंक /रिस्पॉन्डेंट बैंक के कामकाज का स्वरूप पूर्णतः समझने के लिए बैंकों को पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। दूसरे बैंक का प्रबंधन, प्रमुख कारोबारी गतिविधियाँ, एएमएल / सीएफटी अनुपालन का स्तर, खाता खोलने का उद्देश्य, किसी तीसरे व्यक्ति की पहचान जो संपर्ककर्ता बैंकिंग का उपयोग करेगा और संपर्ककर्ता /रिस्पॉन्डेंट के देश में विनियामक /पर्यवेक्षण ढाँचे के संबंध में जानकारी विशेष रूप से संगत हो सकती है। इसी प्रकार, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के जरिए यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या दूसरे बैंक पर धन शोधन या आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन देने के संबंध में किसी प्रकार की जांच या विनियामक कार्रवाई की गई है/जा रही है। यह वांछनीय होगा कि ऐसे संबंध केवल बोर्ड के अनुमोदन से ही स्थापित किए जाएं, तथापि यदि किसी बैंक का बोर्ड किसी प्रशासनिक प्राधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित करना चाहे तो वे ऐसे संबंध अनुमोदित करने के लिए स्पष्ट मानदंडों को निर्धारित करते हुए, बैंकों के अध्यक्ष /सीइओ के नेतृत्व वाली समिति को प्रत्यायोजित कर सकता है। समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को अनिवार्यतः बोर्ड के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रत्येक बैंक की जिम्मेदारियों को जिनके साथ संपर्ककर्ता बैंकिंग संबंध स्थापित किये गये हैं स्पष्ट रूप में प्रलेखित किया जाने चाहिए। खाते के जरिए देय मामलों में संपर्ककर्ता बैंक को सुनिश्चित करना चाहिए कि रिस्पॉन्डेंट बैंक ने उन ग्राहकों की पहचान का सत्यापन कर लिया है जिनकी खातों में सीधी पहुँच है और उनके संबंध में निरंतर 'उचित सावधानी' बरती जा रही है। संपर्ककर्ता बैंक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि रिस्पॉन्डेंट बैंक ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी अनुरोध करने पर तुरंत देने में सक्षम है ।

किसी “शेल बैंक” (अर्थात् ऐसा बैंक जो किसी देश में निगमित है जहां उसका अपना अस्तित्व नहीं है और वह किसी विनियमित वित्तीय समूह से संबंधित नहीं है) के साथ संपर्ककर्ता संबंध स्थापित करने से बैंक को इन्कार करना चाहिए। शेल बैंकों को भारत में कार्य करने की अनुमति नहीं है। बैंकों को उन रिस्पॉन्डेंट विदेशी वित्तीय संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करते समय सतर्क रहना चाहिए जो उनके खातों का उपयोग करने की अनुमति शेल बैंकों को देते हैं। बैंकों को उन रिस्पॉन्डेंट बैंकों के साथ संबंध बनाए रखने में अत्यंत सतर्कता बरतनी चाहिए जो ऐसे देशों में स्थित हैं जहां ‘अपने ग्राहक को जानने’ के मानक कमजोर हैं और ऐसे देश जिन्हें धन शोधन और आंतकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के विरुद्ध संघर्ष में ‘असहयोगी’ के रूप में जाना गया है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके रिस्पॉन्डेंट बैंकों के पास धन शोधन निवारण नीति और क्रियाविधि है और वे संपर्ककर्ता खातों के जरिए किए गए लेनेदेनों के संबंध में निरंतर और अधिक ‘उचित सावधानी’ क्रियाविधि लागू करते हैं ।

XXXXXX

ग्राहक पहचान क्रियाविधि

सत्यापित किये जानेवाले पहलू और ग्राहकों से प्राप्त किये जाने वाले दस्तावेज

पहलू	दस्तावेज
<p>व्यक्तियों के खाते</p> <ul style="list-style-type: none"> - विधिक नाम और प्रयोग में लाए गए अन्य नाम - सही स्थायी पता 	<p>(i) पासपोर्ट (ii) पैन कार्ड (iii) मतदाता पहचान पत्र (iv) ड्राइविंग लाइसेंस (v) पहचान पत्र (बैंक के संतुष्ट होने की शर्त पर) (vi) बैंक की संतुष्टि के लिए मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकारी या सरकारी कर्मचारी द्वारा ग्राहक के पहचान तथा निवास को सत्यापित करता हुआ पत्र</p> <p>(i) टेलीफोन बिल (ii) बैंक खाता विवरण (iii) किसी मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकारी से पत्र (iv) बिजली का बिल (v) राशन कार्ड (vi) नियोक्ता से पत्र (बैंक के संतुष्ट होने की शर्त पर)</p> <p>(ऐसा कोई भी एक दस्तावेज पर्याप्त है जो बैंक को ग्राहक की जानकारी के संबंध में संतुष्ट करता हो)</p>

<p>कंपनियों के खाते</p> <ul style="list-style-type: none"> - कंपनी का नाम - कारोबार का प्रमुख स्थान - कंपनी का डाक पता - टेलीफोन/फैक्स संख्या 	<p>(i) निगमन के संबंध में प्रमाणपत्र और संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम (ii) खाता खोलने के संबंध में निदेशक बोर्ड का प्रस्ताव और जिन्हें खाता चलाने का अधिकार है उनकी पहचान (iii) उनकी ओर से कारोबार चलाने हेतु अपने प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को प्रदत्त मुख्तारनामा (iv) पैन आबंटन पत्र की प्रतिलिपि (v) टेलीफोन बिल की प्रतिलिपि</p>
<p>भागीदारी फर्म के खाते</p> <ul style="list-style-type: none"> - विधिक नाम - पता - भागीदारों के नाम और पते - फर्म और भागीदारों के टेलीफोन नंबर 	<p>(i) पंजीकरण प्रमाणपत्र यदि पंजीकृत हो (ii) भागीदारी विलेख (iii) उनकी ओर से कारोबार चलाने हेतु किसी भागीदार या फर्म के कर्मचारी को प्रदत्त मुख्तारनामा (iv) भागीदारों और मुख्तारनामा धारित व्यक्तियों और उनके पते की पहचान कराता कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज (v) फर्म/भागीदारों के नाम-टेलीफोन बिल</p>
<p>न्यासों और संस्थानों(फाउंडेशनों) के खाते</p> <ul style="list-style-type: none"> - न्यासियों, सेटलर्स, हितार्थी और हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम - संस्थापकों, 	<p>(i) पंजीकरण प्रमाण यदि पंजीकृत हो (ii) उनकी ओर से कारोबार चलाने हेतु प्रदत्त मुख्तारनामा (iii) न्यासियों, सेटलर्स, हितार्थी और मुख्तारनामा धारित व्यक्तियों, संस्थापकों /प्रबंधकों /निदेशकों और उनके</p>

प्रबंधकों/निदेशकों और हितार्थी के नाम और पते - टेलीफोन/फैक्स नंबर	पते की पहचान कराता कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज (iv) फाउंडेशन/ एसोसिएशन के प्रबंधन निकाय का प्रस्ताव (v) टेलीफोन बिल
---	---

परिशिष्ट

अपने ग्राहक को जानने संबंधी परिपत्रों की सूची

<u>क्र.</u>	<u>परिपत्र सं.</u>	<u>दिनांक</u>
(i)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 46/02.02(RNBC)/2004-05	30 दिसंबर 2004
(ii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 48/10.42/2004- 05	21 फरवरी 2005

(iii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 58/10.42/2005-06	11 अक्टूबर 2005
(iv)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 64/03.10.042/2005-06	7 मार्च 2006
(v)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 113/03.10.042/2007-08	23 अप्रैल 2008
(vi)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 163/03.10.042/2009-10	13 नवंबर 2009
(vii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 166/03.10.042/2009-10	2 दिसंबर 2009

परिशिष्ट

धनशोधन निवारण अधिनियम - परिपत्रों की सूची

क्र.	परिपत्र सं.	दिनांक
(i)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 68/03.10.042/2005-06	5 अप्रैल 2006
(ii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 126/03.10.042/2008-09	5 अगस्त 2008
(iii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 164/03.10.042/2009-10	13 नवंबर 2009
(iv)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 170/03.10.042/2009-10	23 अप्रैल 2010

(v)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं.	23 अप्रैल 2010
	171/03.10.042/2009-10	
(vi)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं.	30 अप्रैल 2010
	172/03.10.042/2009-10	
(vii)	गैबैंपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं.	26 मई 2010
	175/03.10.042/2009-10	